# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

(प्रातःकालीन)

अङ्क १ ] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का दूसरा दिवस [ संख्या २



बृहस्पतिवार, २५ अप्रेल, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ८-३१ बजे वधान सभा भवन, जयपुर मे [illegible]

[कार्यकारी अध्यक्ष श्री नारायण [illegible] पदासीन ]

## शपथ अथवा प्रतिज्ञान

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष:** अब जो मेम्बर्स कल ओथ लेने से रह गये हैं वे ओथ लेंगे।

**श्री सचिव, विधान सभा** (श्री मनसाराम पुरोहित) :

श्री दामोदर लाल व्यास
(अनुपस्थित)

श्री दलपत सिंह
(अनुपस्थित)

श्री लालसिंह शक्तावत
(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर ईस्ट)
(अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की)

श्री मुरलीधर
(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह
(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम
(अनुपस्थित)

## अध्यक्ष के निर्वाचन की सूचना सम्बन्धी आपत्ति

Now the election of the Speaker will take place. Shri Harishchandra to move the motion.

**श्री [illegible]नदास** (अजमेर सिटी-पश्चिम): On a point of order, sir, Under Rule 7 the Rajpramukh or the Governor has got to fix the date and the Secretary has got to communicate that date to all the Hon'ble Members of this House. And under sub-clause (2) we have got to submit our nomination papers before noon on the day preceding the date so fixed.

Thus we could submit our nomination papers before 12 o' clock yesterday, but in this particular case I was informed by the office only in the afternoon and as such I have not been able to submit any nomination paper at all, Sir. There is no notice to me at all, Sir. Notice was given to me in the afternoon and as such it was physically impossible for me to propose or second anybody, Sir.

**श्री तनसिंह** : He may be permitted to propose now.

**श्री अर्जुनदास** : We leave it to the hon'ble Speaker to say so.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Rule 7 (1) says that the election of the Speaker shall be held on such date as the Governor may fix and the

( श्री कार्यकारी अध्यक्ष )

Secretary shall send to every member notice of this date. The notice was sent.

**श्री अर्जुनदास** : No, it was delivered to me yesterday in this building in the afternoon. If it had been sent to my address I could not have had any grievance but it was not sentl. My submission is that if that notice had been sent to my address, whether I could get it or not, I could not have any grievance. But in this particular case it was not sent and as such it was delivered to me here in the afternoon.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : The rules do not provide either afternoon or forenoon, when the notice may be communicated to the hon'ble members. The rules only provide that the Secretary shall send to every member notice of this date.

**श्री अर्जुनदास** : It was not sent to me.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : But it was sent anyhow.

**श्री अर्जुनदास** : It was sent after the show was over. We had to submit the nomination papers before noon but the notice was sent to me in the afternoon yesterday; as such I could not propose anybody.

**श्री रामेश्वरदयाल (कोटा)** : We have received notice of the election of the Speaker long ago and whatever the hon' ble member on the opposite side has said is only with regard to the receiving of information regarding the nomination papers received by the Assembly Secretariat and, therefore, there is no question regarding the validity of the election of the Speaker. The obiection is not tenable.

**श्री अर्जुनदास** : Perhaps he is talking something beyond law.

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई)** : On a point of order, Mr. Speaker, The notice regarding the date for the election of the Speaker was to be communicated to every member of this House well in time. If the notice had been given to any particular member after the expiry of that time then it is tentamount to denying the right of proposing, which every member possesses by virtue of his being a member of this House. This is in fact a denial of the inalienable rights of the members, and if it has occurred in a particular case, this is subject to enquiry. I think that the entire proceedings would be vitiated if such an irregulrity happens. If it has occurred, this should be enquired into, and no procedure should be adopted which virtually amounts to denying the legitimate rights of the members.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : The first notice for the election of the Speaker was sent on the 16th April,

Page No.3



[ श्री कार्यकारी अध्यक्ष ]

1957, wherein it was notified that on the 24th April the election of the Speaker will take place. But when a change was made the second notice was given on the 22 nd April, 1957......

**श्री अर्जुनदास** : But to me it was given on 24th afternoon.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : It was despatched on the 22 nd April.

**श्री अर्जुनदास** : It was not despatched to me.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : It was dated 22 nd April, and it was supposed that all the members will be coming here for the Session on the 24th; it should have been hand delivered.

**श्री अर्जुनदास** : But my difficulty is, that I did not get it on the 22nd. The matter would have been quite different had we got the notice. I do not know whether it was issued on the 22nd, because it was delivered to me yesterday afternoon, and as such how could it be possible for me to be a candidate or a proposer to file nomination.

I could not possibly contest, because I got the notice in the afternoon and by that time the whole show was over.

**श्री ज्वालाप्रसाद** ( नसीराबाद ) : Mr. Speaker, Sir, this is an assertion from a single member, and when your offices shows that it was delivered it should be taken as delivered. It is only an assertion by an individual member that he did not get the notice, and for that whatever your office, your official record shows, should be taken as right.

**श्री अर्जुनदास** : I do not want to challenge the statement of the Hon'ble member. The office delivered (the notice to) me yesterday afternoon. I will expect the office to show the record, but that is not available.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, उचित तो यह होगा कि इस बात की जांच करा ली जावे कि उनको किस तारीख को नोटिस मिला है ? आया उनको दोपहर के बाद नोटिस मिला है या पहले मिला है ? अगर आज ही स्पीकर का चुनाव होता है तो इनको खड़े होने या किसी दूसरे को खड़े करने का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात होता है । इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इस वाद-विवाद में जाने से पहले आप देख लें कि दरअसल क्या बात हुई है ? अगर उनको दोपहर के बाद नोटिस मिला है तो आज स्पीकर का चुनाव न करके आप अगली तारीख निश्चित कर दें कि उस तारीख को स्पीकर का चुनाव होना चाहिये।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : On a point of information, Sir, may we know when the acknowledgement of the Hon'ble member was received, on what particular date ?

**श्रीमती गंगादेवी** (रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, सदन की कार्यवाही अंग्रेजी में होरही है।

(श्रीमती गंगादेवी)

हिन्दी में हो तो ज्यादा अच्छा हो ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें और समझ सकें ।

**श्री अर्जनदास** : Does the Hon'ble Member not know English ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : साधारणतया यह कार्यवाही हिन्दी में ही होनी चाहिये लेकिन शायद किसी सदस्य को हिन्दी बोलने में कष्ट हो और हिन्दी नहीं जानना हो तो अंग्रेजी की खुलावट भी वाजिब ही है ।

**श्री मती गंगादेवी** माननीय अध्यक्ष,...

**एक माननीय सदस्य** : क्या यह माना जावे कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं हिन्दी नहीं जानते हैं ?

**श्री अर्जनदास** : Does the Hon'ble member not know English ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : ऐसा है कि जो लोग हिन्दी में बोल सकते हैं हिन्दी में बोलें और जो लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं अंग्रेजी में बोलें ।

**श्रीमती चन्द्रकला** (किशनपोल-जयपुर) :—अध्यक्ष महोदय, ऐसे सदस्य जो हिन्दी, राजस्थानी या स्थानीय भाषा में बोलना चाहें तो क्या उनको बोलने की इजाजत दे सकते हैं ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : यदि कोई सन्धी में बोलना शुरू करें तो आपको कष्ट होगा इसलिये वे अंग्रेजी में बोल सकते हैं ।

**श्रीमती चन्द्रकला** : मैंने, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की कोई भी बोली जाने वाली भाषा का कहा है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, पहले जो नोटिस अध्यक्ष के चुनाव के बारे में निकला था वह १६. ४. ५७ को निकला था और उसमें २४ तारीख निश्चित की गई थी कि इस तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा । इसलिए जो भी सदस्य सदन के हैं उनको २३ तारीख को १२.०० बजे तक तैयार होना चाहिये और वह नोटिस काफी पर्याप्त था । इसके अलावा इसके बाद जो कार्यवाही हुई है उसमें कमी नहीं हुई, उसमें समय में बढ़ोतरी ही हुई है । अगर २४ तारीख के बजाय २३ तारीख की जाती तो और बात थी लेकिन यहां तो २४ तारीख के बजाय २५ तारीख की गई है । इसलिए समय की कमी की शिकायत करना अनुचित मालूम होता है । दूसरा नोटिस २२ तारीख को जारी हुआ । समय के बाद किसी को मिला होगा, मगर इनके सिवाय किसी की शिकायत नहीं तो आम प्रिज़म्पशन यह है कि सबको नोटिस समय पर मिला है । इसलिए जो सब लोगों के साथ हुआ है उसी से कार्यवाही करेंगे । अगर इण्डिविजुअल केस में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता है तो उसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे, यह ठीक नहीं है । इसलिए मैं समझता हूँ कि १६. ४. ५७ का नोटिस जो कि २३ ता० तक होना चाहिये समय पर सबको पहुँच चुका था । २२. ४. ५७. को भी नोटिस issue हो चुका है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि स्पीकर का चुनाव किया जावे, इसमें कोई रुकावट नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, विधि मंत्री ने जो बताया कि उनका विशेष (स्पेशल) केस है । आपका फरमाना यह है कि किसी को सूचना नहीं मिलती है तो स्पेशल केस के नाते सारे

# Page No.5



( श्री भैरूसिंह )

सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावे। मगर प्रश्न यह है कि क्या यह इस प्रकार का स्पेशल केस है और अगर है तो सदन की कार्यवाही क्या होनी चाहिये ? अगर मामूली बात होती, कोई प्रस्ताव होता या उसमें कोई एमेन्डमेंट होता तो उस पर सदन विचार करता। मगर यह कोई ओर्डिनरी केस नहीं है, यह तो स्पेशल केस है जिसको फोरगो नहीं किया जा सकता। यह कोई आज का सवाल नहीं है, यह तो ५ साल तक राजस्थान की विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित करने का सवाल है और मैं समझता हूं कि यह कोई ओर्डिनरी सवाल नहीं है। यह जो प्रश्न है वह उनके खड़े होने का अधिकार है, और दूसरे किसी को प्रोपोज़ करने का अधिकार है। इसलिए चुनाव की तारीख की सूचना उनको समय पर मिलनी चाहिये थी और मिलती तो मैं समझता हूँ कि वे किसी को प्रोपोज़ करते या कुछ करते। इस प्रकार के स्पेशल केस में हमें स्पेशल कन्सीडरेशन रखनास पड़ेगा। अगर आप इसको एक स्पेशल के कह कर सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं करते हैं तो यह अनुचित है। मैं तो यह कहूँगा कि इसको एक मामूली बात न मानकर, जो आज अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसको स्थगित कर दिया जाय। मैं जो यह कह रहा हूं यह बात औचित्य लिए हुए है। यदि इस प्रकार से एक दिन का समय जाया होता है तो हमें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिये। यदि आज इस सदन की बात को लेकर, इस केस को एक स्पेशल केस लेकर चलते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हम एक अनुचित बात इस सदन में कर रहे हैं। अब सवाल यह रह जाता है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी और उस तारीख को चुनाव नहीं हुआ और तारीख स्थगित कर दी गई तो अब यह देखना है कि पहली तारीख को स्थगित कर जो दूसरी तारीख निश्चित की गई उसकी सूचना समय पर भी मिली अथवा नहीं; अगर उसकी सूचना समय पर नहीं मिली तो इसको हम एक स्पेशल केस कह कर चुनाव को आज ही करावें तो यह एक गलत परम्परा है। मैं कहूंगा कि यह सदस्यों के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है और एक प्रकार से अधिकार-वंचन है। अगर आप, अध्यक्ष महोदय, न्याय की भावना से ओतप्रोत होकर, इस प्रकार की चीज को लेकर इस सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित करेंगे तो सचमुच हम एक अच्छी परम्परा इस सदन में डालेंगे और इसी भावना से अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष का चुनाव आज न हो और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जावे।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : यह सूचना समय पर मिली या नहीं, यह सवाल दूसरा है लेकिन यहां प्रधान सवाल यह है कि किसी का अधिकारवंचन हुआ या नहीं हुआ? जब पूर्व सूचना २४ तारीख स्पीकर का चुनाव होने की थी और उसके दर्मियान में कोई दूसरी सूचना तिथि-परिवर्तन की नहीं मिली तो उस हिसाब से जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा उसके अनुसार हर एक सदस्य को तैयार होना चाहिए था कि २३ तारीख को आफ्टरनून ( afternoon ) के पहले अपने नोमीनेशन इत्यादि फाइल करते। उस हिसाब से किसी का अधिकार-वंचन हुआ; यह नहीं कहा जा सकता। २४ तारीख को अगर

# Page No.6



( श्री कार्यकारी अध्यक्ष )

स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ और उसके लिए २५ तारीख का परिवर्तन हुआ तो उनका किसी प्रकार से अधिकारों का वंचन हुआ हो, तो यह नहीं कहा जा सकता। अब यह सवाल दूसरा है कि २५ तारीख को इलेक्शन होने की सूचना समय पर मिली या नहीं, यह वास्तव में दूसरी बात है। लेकिन यहां जो अधिकार वंचन का सवाल है और एक स्पेशल केस का सवाल है इससे किसी का अधिकार वंचन नहीं होता।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा। यहां रूल ७ में दिया हुआ है...............

**श्री रामकिशोर व्यास** (विधि मंत्री) : I think the ruling has been given by the Hon'ble Speaker.

**श्री ज्वालाप्रसाद** : जब चेयर से रूलिंग हो चुकी है तो फिर यह बहस क्यों हो रही है ?

Now the ruling has been given.

**श्री अर्जनदास** : He has risen ona point of order.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : पहले सवाल के लिए.....................

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : पहले सवाल के लिए ही कुछ अर्ज करता हूँ। किसी माननीय सदस्य को अधिकार से वंचित किया गया है या नहीं लेकिन, "The Election of a Speaker shall be held on such date as the Rajpramukh ( Rajyapal ) may fix.".

राज्यपाल ने तारीख अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए २४ की थी। हम इस बात को मान कर नहीं चल सकते कि जब २४ से २५ तारीख स्थगित हो गई तो अब २४ तारीख का किसी प्रकार से कन्सीडरेशन हो। हम तो अब यही मान कर चलते हैं कि राज्यपाल की ओर से २५ तारीख ही फिक्स की है। अब जब कि २५ तारीख अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए राज्यपाल द्वारा फिक्स कर दी गई तो इसकी किसी सदस्य को सूचना मिली या नहीं मिली ? अब जब हमने फाइनली इस बात को स्वीकार कर लिया कि २५ तारीख ही फाइनल है तो माननीय सदस्य को, मैं समझता हूँ, समय पर इस बात का नोटिस नहीं मिला और इस पर भी सदन की कार्यवाही चलती है तो यह कार्यवाही गलत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष यदि यह भी निर्णय दें दें कि राज्यपाल की तरफ से कौनसी तारीख निश्चित हुई थी तो फिर किसी चीज पर फाइनली डिस्कशन हो सकता है। २५ तारीख की सूचना हमें समय पर मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, इसलिए निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष यह निर्णय दें कि फाइनल तारीख कौन सी थी ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : विधि केवल प्रजातंत्री कार्यवाही की सहूलियत के लिए है और यदि उस प्रजातंत्र कार्यवाही में कोई रोड़ा विधि के हिसाब से आता है और अधिकारों के ऊपर आंच नहीं पहुँचती है तो उस विधि को उस हद तक दबाने की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल यह है कि किसी के अधिकारों का वंचन हुआ या नहीं ? जो समय दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग करें और उन अधिकारों का सही रूप में प्रयोग करें। इसलिए जो पहले २४

# Page No.7



( श्री कार्यकारी अध्यक्ष )

तारीख निश्चित की थी और फिर उसको स्थगित कर दिया गया और २५ तारीख फिक्स की तो इससे कोई किसी प्रकार का अटकाव पैदा नहीं होता क्योंकि सूचना तो पहले २४ तारीख की ही थी। यह निर्वाचन कोई २४ तारीख के पहले तो हो नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि अधिकार-वंचन के हिसाब से जो हुआ वह ठीक है और यह सूचना कुछ देर से मिली तो इसकी कार्यवाही तो अलग से हो सकती है लेकिन इस बात के लिए कि २५ तारीख की सूचना समय पर दी गई या नहीं, आज का अध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित हो, यह मैं ठीक नहीं समझता।

(करतल—ध्वनि)

**श्री तनसिंह** (बाडमेर) : ओन पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय हम यह चाहते थे कि चुनाव के लिए तारीख २४ निश्चित हुई थी या २५............

**श्री भैरूसिंह** (१४) : जो भी तारीख निश्चित हुई हो हमें तो उसके लिए कम से कम एक दिन का नोटिस मिलना चाहिए था। इसलिए हम चाहते थे कि फाइनल रूप से कौन सी तारीख थी ?

**श्री तनसिंह** : मैं यह जानना चाहूँगा कि आपके कहने के अनुसार २३ तारीख को दिया हुआ प्रोपोज़ल मान्य होता तो इसमें लोगों का किसी प्रकार के अधिकारों का हनन-नहीं होता; तो फिर २३ तारीख का दिया हुआ प्रोपोजल मान्य होता।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : वह जरूर मान्य होता।

**श्री तनसिंह** : मैं आपका ध्यान रूल ७ (२) की ओर आकर्षित करूंगा :

"At any time before noon on the day preceding the date so fixed", 24th is preceding date. और आप यदि इस प्रकार मान लें कि २४ तारीख फाइनल थी तो फिर २३ तारीख का भरा हुआ प्रपत्र माना जाता तो इसका मतलब यह हुआ कि २४ तारीख का भरा प्रपत्र नहीं माना जाता, तो यह फिर आपस में इस रूल के मुताबिक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। २३ तारीख को जो प्रपत्र भरे गये हों उन पर ही आप चुनाव करा लीजिये।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : माननीय सदस्य देखें कि इस रूल में 'इमीजियेटली प्रिसीडिंग नहीं है। इसलिए प्रिसीडिंग डेट २३ भी हो सकती है।

अब मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को कोई संशय नहीं होना चाहिए लेकिन जहां तक यह पहला प्रश्न उठाया गया, तो उसके लिए मैं रूलिंग दे चुका हूँ और उसके अनुसार इलेक्शन अध्यक्ष पद के लिए आज ही होना वाजिब है।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : माननीय सदस्य ने जो सेकिन्ड प्वाइन्ट रखा है....

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Loudly please.

**श्री पी० के० चौधरी**: (जारी) तो वाकई देखा जाय तो टेक्नीकली और लीगली उनको २५ तारीख को होने वाले चुनाव का ठीक प्रकार से नोटिस नहीं मिला। इसके लिए आपने कोई रूलिंग नहीं दी।

**श्री रामकिशोर व्यास** : He has given.

( श्री कार्यकारी अध्यक्ष )

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : जहां तक रूल ७ (२) का सवाल है तो इसमें 'date preceding' का शब्द है, 'डेट इमिजिएटली प्रिसीडिंग' नहीं और उसके हिसाब से यह लीगल है, अगर २३ को भी नोमीनेशन हो जाता।

**श्री पी० के चौधरी** : My point is not clear to you, Sir, what I wanted to know is whether the notice issued was handed over to the member on the 23rd or not? If not, then was it deliberately handed over to him on the 24th? Whether it was sent to all? If it was sent to all, it was all right. It was immaterial whether it was lost in the transit or it was received by a member or not? But if the Secretariat of the Speaker delivers this letter in the afternoon of the 24th, is it not a technical mistake? Is it not likely to vitiate the election of the Speaker? It may be very immaterial if one member may not have received it. It will not affect the result of the election, but it will affect the moral character of the election. Technically and legally it will vitiate the election. I would like the Speaker to give a ruling on this whether legally and technically non-delivery of this intimation is not going to vitiate the election of the Speaker.

६.०१ म० पू०

Another thing I would like to point out is that before the Speaker gives a ruling he should think over it. It is not an ordinary thing. The post of the Speaker is considered a very non-party post. The Speaker is considered above all the groups.

**श्री रामकिशोर व्यास** : Is it a point of order or he is making a speech?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Well, I think you have conveyed the point.

**श्री पी० के० चौधरी** : So I will request the Speaker that before giving ruling he should also consider this aspect.

**श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद)** : This cannot be included in a point of order. What is the point of order.

**श्री पी० के० चौधरी** : If the latter part of what I have said is not considered to be a point of order, at least I will like to have a ruling on the first point, as to the legal and technical correctness of the procedure. If the intimation was not delivered at all or if it was not delivered to certain members before the date set down for submitting the nomination papers, then whether it will be technically correct to proceed with the election?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Sometimes the intent of the law is considered. The intention of the law here is that the Hon'ble Members should be given ample time to exercise their right to send nomi-

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष)

nation papers for Speakership. That right is assured even if the next intimation was not in time. The Hon'ble member could have given the nomination paper on the 23rd or 22nd.

Then I have come to know that on the 23rd April, Shri Arjan Das who has raised this objection had received the intimation and his signatures to that effect are just here on this paper. When this paper was circulated on the 23nd, Shri Arjan Das had signed on that. We should presume that he was informed on the 23rd, we presume that he has received it on 23rd April.

**श्री अर्जुनदास** : I am entitled to be believed.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : It has been signed by you on the 23rd April.

**श्री अर्जुनदास** : It is impossible Let the man who dilivered it to me say so. Let the Secretary say so at least.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : All the relevant papers were circulated on the 23rd and this list was circulated. Shri Arjan Das's name stands countersigned by him on this day.

**श्री अर्जुन दास** : From this end I made a difinite statement that I did not receive it earlier than 24th. This letter was given to me yesterday afternoon. Unless the Secretary or somebody else contradicts me, I am entitled to be believed. Let somebody contradict me. There is none who could say.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : It stands contradicted by the very fact that you have signed it on the 23rd.

**श्री अर्जुनदास** : Let somebody say this.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : If you had received it later you should have dated it. It was circulated on the 23rd April. The Hon'ble member should have dated it while signing. That would have made things clear. If he has not done it, we have to presume that he has signed it on the 23rd April.

**श्री भानसिंह (बयाना)** : Mr. Speaker, Sir, on a point of order, Sir.....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न ऐसा था जिस पर किसी प्रकार का वाद-विवाद होना ही नहीं चाहिये था क्योंकि स्पीकर के चुनाव के बारे में नोटिस १६ तारीख को जारी हुआ, उसमें स्पीकर के पद के लिये नोमीनेशन फार्म भरने की अवधि २४ तारीख थी और उसके लिये राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति ली गई थी बिना उनकी स्वीकृति के नोटिस इश्यू नहीं किया गया था। इसके साथ साथ कैलेन्डर आफ मीटिंगज़ भी जारी किया गया था जिसमें भी स्पीकर के चुनाव के लिये तारीख २४ निर्धारित की गई थी। इस तरह से एक तो कैलेन्डर

# Page No.10



( श्री मोहनलाल सुखाडिया )

ऑफ मीटिंगज़ द्वारा और दूसरे नोटिस द्वारा यह इत्तला हो गई थी कि स्पीकर का चुनाव तारीख २४ को होगा। उसके बाद तारीख २२ को उस तिथि में परिवर्तन हुआ उसको भी सरकुलेट किया गया, उसके अन्दर हो सकता है किसी माननीय सदस्य के पास पहुँचने में आगे-पीछे हो सकता है और देर लगी हो। उस देर लगने का असर नामजदगी पर पड़ नहीं सकता। इस तरह से यदि कोई नोमीनेशन फॉर्म ही भरना चाहते तो वह भर सकते थे। केवल परिवर्तन की तिथि का किसी को नोटिस नहीं मिलना, इस बात को जाहिर नहीं करता कि उनको इत्तला ही नहीं थी। जब कि उनको दो प्रकार से इत्तला थी तो वे चाहते तो तारीख २४ की नून (noon) तक तो वे नोमीनेशन फॉर्म भर सकते थे। उसका भी लाभ उन्होंने नहीं लिया। २५ तारीख का नोटिस नहीं मिलने से वे तारीख २३ से तो वंचित नहीं हुए थे। अगर समय में कमी कर दी जाती तो शिकायत वाजिब हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ, अखबारों में भी जिस चीज की खबर काफी अरसे से आती रही, कलेन्डर ऑफ मीटिंग्ज आपको १६ तारीख को भेज दिया गया। हो सकता है किसी माननीय सदस्य को वह नहीं मिला हो, हो सकता है नहीं मिला हो, मैं इस बात का खंडन नहीं करता लेकिन तारीख २५ स्पीकर के चुनाव के लिये रखना, यह इस बात को जाहिर नहीं करता कि हम किसी से यह बात छिपाना चाहते हों या किसी के अधिकारों का हनन करने का इरादा हो। इन शब्दों के साथ जब कि माननीय अध्यक्ष का रूलिंग हो गया है, सदन अच्छी स्पिरिट में अध्यक्ष के रूलिंग को मानकर आगे चलेगा, यह मैं उम्मीद करता हूं।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : I have one sub- mission to make about this fact.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : The Hon'ble Member will only refer to the other point. On this point I have given my ruling.

**श्री श्रीभानसिंह** : You have not given. I am making a submission and the Hon'ble Speaker will......

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : I have given my ruling......

**श्री श्रीभानसिंह** : No, Sir, you have not given. Shri Arjan Das was not present in Jaipur on the 23rd. I just wanted to......

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : I have given the ruling that the notice was properly served and there is no question of anybody's right being hampered.

**श्री श्रीभानसिंह**: But, Sir, I am making a submission that the Hon'ble Member, Shri Arjan Das, came to Jaipur on the :24th at 10.30 A.M. in the Government Hostel. He was not allotted a room. I was a witness to this. Therefore, you cannot say that he signed this on the 23rd. This is my witness. Evidence is there in the Government Hostel. The record is there. When he was not in the Government Hostel before 10.30 A.M. on the 24th, he cannot sign a paper on the 23rd ? About this I wanted to make submission.

( श्री श्रीमानसिंह )

The second thing I would like to ask is, what was the final date fixed by the Governor for the election of the Speaker. This is my submission to your honour.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** Even if Shr. Arjan Das arrived here at 10 A.M. on the 24th he has signed the paper without indicating any date or time. We cannot presume that he could not receive the notice before afternoon. In any case he has received the notice. It seems he has received the notice in time. Even if he has received it on the 24th, dated 25th is the final date duly appointed by the Governor for the election of the Speaker. Hence the proceedings are correct.

So we can proceed with the election of the Speaker.

### शपथ न लिये हुए सदस्यों को शपथ दिलाने सम्बन्धी प्रश्न

**राजा श्री मानसिंह ( वैर ) :** Mr. Speaker Sir :

( श्री हरिश्चन्द्र डग द्वारा भी बोलने के लिये खड़े होने पर । )

**श्री अर्जनदास :** There are two persons who want to speak.

**राजा श्री मानसिंह :** Mr. Speaker, Sir, there are several persons present in the House who have not taken the oath. I would request you please to administer them oath, so that their right may not be hampered.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** If any members are not present, that is not the fault of the Assembly or procedure. It has been duly done and I think we cannot stop the election for that.

**राजा श्री मानसिंह :** Those who were not sworn in, you might swear them in and proceed with the election.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** They ought to have come in time. That can be done to-morrow. If any of the hon'ble members are not present at the appointed time it is not the fault of the Assembly Secretariat or the procedure and I think we cannot stop the elections for that.

We would now like to protect the election of the Speaker.

**राजा श्री मानसिंह :** How can we ? Some of us have not yet taken oaths.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** If Members miss the opportunity by not coming in time and also say that their right of giving a vote was been defeated, that is not the fault of the Assembly. The date was duly declared and they should have come in time.

**श्री बरकतुल्लाह खां :** The proceedings cannot be adjourned because it was their duty to come in time and take the oath. But now once the motion has been moved I don't think it is now possible to request the Chair to adjourn the House and adminster the oath.

## अध्यक्षीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Now Shri Harishchandra will move the motion.

**श्री हरिश्चन्द्र** : I beg to move,

"That Shri Ram Niwas Mirdha (Division No. 139), M. L. A., be chosen as Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

**श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर)** : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

### एक ही विषय पर एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर वाद-विवाद

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूचना मिली है कि इस प्रस्ताव में जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिये विधिवत प्रस्तुत किया गया है उनकी ओर से कोई सहमति प्रकट नहीं की गई है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनका एक्सेप्टेन्स का स्टेटमेन्ट नहीं आया कि वे स्वयं इस पद को मन्जूर करते हैं या नहीं, इसके बारे में सदन में अपनी सहमति वे प्रकट करें।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमंत्री)** : It is implied.

**श्री बरकतुल्लाह खां** : If he were unwilling he could have easily withdrawn. Therefore, the question does not arise.

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : यह बात नहीं है। जिस बात को हम प्रोपोज कर रहे हैं उसे वे स्वीकार करते हैं या नहीं यह तो स्पष्ट होना चाहिये।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : For the information of the hon'ble member I read this : "I, Shri Ram Niwas Mirdha (Div. No. 139), Member of the Rajasthan Legislative Assembly, am willing to serve as Speaker, if elected." This is his assent.

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : कौनसी तारीख को ? (हंसी)

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : २४।

**श्री माधोसिंह (श्री डोर)** : I beg to move, "That Shri Ram Niwas Mirdha (D. No. 139), Member of Rajasthan Legislative Assembly, be chosen as Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, श्री रामनिवास मिर्धा के अध्यक्ष पद के लिये चुनाव का प्रस्ताव अभी श्री हरिश्चन्द्र जी ने प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में जब एक प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया तो उसी आशय का दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रस्ताव जो आ गया है वही काफी है। बाकी के जो दो ऐसे ही प्रस्ताव और हैं उनको अब प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, व्यर्थ समय जा रहा है।

**श्री ज्वालाप्रसाद** : प्रस्ताव कितने भी आवें।

**श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : It is merely a repetition. और सदन में रिपिटीशन की आवश्यकता नहीं। हां, माननीय सदस्य प्रस्तुत करके खुश हो जावें तो केवल

# Page No.13



(श्रीभैरोंसिंह )

खुशी मानने की भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर खुशी की ही केवल बात हो तो मुझे आपत्ति नहीं है। पर इससे समय व्यर्थ जाता है। इसलिए दुबारा वैसा ही प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल २१२ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"Repetition of motion: A motion or an amendment must not raise a question substantially identical with the one on which the House has given a decision in the same session".

एक जो मोशन मूव हो जाता है, उसके बारे में अगर दूसरे भी नोटिस आते हैं, चार या पाँच आदमियों के, तो नोटिस देने का तो अधिकार सभी को है पर एक के द्वारा मूव होने को ही काफी समझा जाता है। इसके बाद में सपोर्ट अगर करना है तो वे कर सकते हैं; मोशन मूव एक ही होता है, सपोर्ट करने वाले कितने ही हो सकते हैं। दो या तीन या पांच या दस मोशन रखने से सदन का समय व्यर्थ बरबाद होता है।

**श्री रामकिशोर व्यास** (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं स्पष्ट कर दूं। प्रश्न यह उठाया जा रहा है कि एक ही विषय पर एक या एक से अधिक प्रस्ताव या मोशन लाये जा सकते हैं या नहीं? कहा यह जाता है कि एक आ गया है इसलिये दूसरा नहीं लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कानूनी गलत फहमी है। हर मेम्बर को एक ही विषय पर अपना प्रस्ताव या मोशन भेजने का अधिकार है और एक ही तरह के मोशन या प्रस्ताव कई मेम्बर ला सकते हैं। यह बात अलग है कि उन पर बहस सहूलियत की दृष्टि से एक साथ करलें। पर अपना मोशन या प्रस्ताव एक सरीखा होने पर भी उसे उपस्थित करने का अधिकार हर सदस्य को है।

एक इम्प्लिकेशन (implication) और है। मान लीजिये एक ही विषय पर दो या चार प्रस्ताव अलग अलग सदस्यों ने भेजे और उपस्थित करने की आज्ञा एक को ही दी, दूसरों को नहीं दी; तो अगर उस एक ने वह प्रस्ताव वापिस ले लिया तो क्या होगा? इसलिए मूव तो करने का सब को अधिकार है जिससे कि एक अगर वापिस भी ले लें तो दूसरे का रह जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे वापिस लेने वाले नहीं हैं।

(हंसी)

**श्री रामकिशोर व्यास**: यह प्रश्न नहीं है। इसमें एक को उपस्थित करने की आज्ञा देने और दूसरे को न देने से दूसरों के अधिकार मारे जाते हैं। इसलिये हर सदस्य को अपना मोशन पेश करने का अधिकार है। हां, जहां तक उन पर डिस्कशन का अधिकार है वह एक साथ हो सकता है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में यहां एक ऐसी ही परम्परा रही है कि एक ही प्रकार के मोशन अगर माननीय सदस्यगण प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उनमें से एक प्रस्तुत करता रहा है। अब यहां प्रश्न आता है, स्पीकर के इलेक्शन का और इसमें जिस

# Page No.14



( श्री भैरोंसिंह

तरह से माननीय विधिमन्त्री जी ने बताया और जो अविश्वास की बात कही उसमें ऐसा अविश्वास करने की उनको आवश्यकता नहीं थी। पिछले जिन दो ने प्रस्ताव किया है वे वापिस नहीं लेंगे, बल्कि वोट भी देंगे। ऐसी अविश्वास की भावना लाना उपयुक्त नहीं है। फिर इस प्रकार का रिपिटीशन नियमोचित भी नहीं है। हमारी नियमावली में यह स्पष्ट है, मोशन प्रस्तुत एक व्यक्ति कर देगा। अब बाकी उसका समर्थन किस तरह से करते हैं, इसमें मतभेद हो सकता है। तो समर्थन करने का ढंग उनका अपना है, अपने-अपने ढंग से वे समर्थन करते समय बोल सकते हैं। पर मोशन मूव करने का अधिकार तो एक का ही होगा। अब सबों से मूव करवा कर अगर भविष्य के लिये गलत परम्परा आप डालेंगे तो इस सदन के लिये यह उचित नहीं होगा। पिछली परम्पराओं को ध्यान में रख कर भविष्य की परम्पराएं हमें निर्धारित करनी चाहिये। गलत परम्परा डालने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिये।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष:** जिस समय को आप बचाने की बात करते हैं वह तो इस तरह से बच नहीं रहा है।

**श्री भैरोंसिंह:** (जारी) गलत परम्पराएँ पड़ने से बचाने के लिये कर रहा हूँ, साहब।

**श्री रामकिशोर व्यास** (विधि मन्त्री): मैं निवेदन करूं कि अगर ऐसा होगा तो यह गलत परम्परा वाकई होगी। जो नियम में लिखा है उसका पालन नहीं किया जावे, यह उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि कि आप जो फरमा रहे हैं यह किस नियम में उल्लखित है? क्या आप ऐसा कोई लॉ. क्वोट करेंगे? आप चाहें तो मैं नियम बता दूं।

परम्परा की बात ऐसी है कि पिछले पाँच सालों में ऐसे मौके आये हैं कि सब ने अपने अपने मोशन मूव किये हैं पर डिस्कशन एक हुए हैं। मूव करने का अधिकार उनका बरकरार रहा है। इसमें अब अविश्वास का सवाल भी नहीं है, लीगल इम्प्लिकेशन का सवाल है। अब लॉ में इस तरह के प्रोविजन क्यों रखे गये हैं, इसकी वजह है, हरेक के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिये।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष:** मैं चाहता हूँ कि अगर परम्पराओं का प्रजातांत्रिक पद्धति पर आघात होता है तो उनको ज्यादा महत्त्व देने की आवश्यकता है। अगर खास आघात नहीं हो तो सहूलियत को देखते हुए सबके द्वारा प्रस्ताव रक्खे जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): मैं समझता हूं कि परम्पराओं के कारण से प्रजातन्त्र पर कई आघात पहुँचाते हैं या किसी सदस्य पर आघात पहुंचता है, यह प्रश्न जुदा है।

**श्री ज्वालाप्रसाद:** ओन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर......

**श्री कायकारी अध्यक्ष:** मैं कहना चाहता हूँ.........

**श्री भैरोंसिह** (श्री माधोपुर): मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि आप कोई रूलिंग दें। मैं यह चाहता था कि आज तक की जो परम्परा थी इस सदन में, नियम न भी बने हों पर एक ही प्रकार का मोशन तीन, चार या अधिक सदस्य रख सकते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में पाँच वर्षों में परम्पराओं का निर्माण हुआ है और वह यह है कि यदि कोई सदस्य मूव करना चाहें तो उनमें से एक मूव और कर देते हैं

[ श्री भैरोंसिंह ]

बाकी बहस के वक्त उन सबको समान अवसर मिलता है ।

**श्री ज्वालाप्रसाद** (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, is it a discussion between the Hon'ble Member and the Hon'ble speaker or we are also concerned.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : I have raised the point of Order.

**श्री अध्यक्ष** : I have given the ruling.

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय अध्यक्ष, इस संबन्ध में रूलिंग नहीं दी गई है, जो पोइन्ट्स मैंने उठाये हैं। आज तक इस सदन में इस प्रकार की परम्परा रही है कि नियमों में चाहे व्यवस्था न हो एक ही प्रकार का मोशन एक ही सदस्य रख सकता है। पांच वर्षों में जो यहां परम्परायें निर्माण की गई हैं उनके अनुसार एक ही विषय पर एक ही माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए, यह नहीं कि एक विषय पर कई माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करें और यदि किये गये हैं तो उनकी आज्ञा नहीं दी गई है; बल्कि तात्कालीन अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रकार की गलत परम्परायें कायम न हों, उस बात को ध्यान में रख कर एक स्वस्थ परम्परा कायम की थी। अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गत पांच वर्षों से जो परम्परा कायम थी उस पर आज पहले दिन ही क्यों आघात होता है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका रूलिंग जानना चाहूँगा कि आज उन परम्पराओं के विपरीत जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है?

**श्री रामकिशोर व्यास** (विधि मन्त्री) : मुझे खुशी हुई यह जानकर कि आपने यह स्वीकार किया है कि रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं है और केवल परम्पराओं की आड़ ले रहे हैं, जिसके लिए मैंने निवेदन किया कि एक ही विषय पर कई प्रस्ताव आते थे और उन सब पर एक ही साथ डिस्कशन किया जाता था। जब नवम्बर में स्पीकर का चुनाव हो रहा था उस समय एक ही नाम के लिए अलग अलग प्रस्ताव आये थे, आप उसको वेरिफाइ (Verify) कर सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : पांच वर्ष की बात है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने निवेदन किया कि अभी नवम्बर की ही बात है। एक ही विषय पर कई प्रस्ताव आये थे। जहां तक परम्पराओं का सवाल है, प्रस्ताव अलग-अलग मूव हुए हैं, लेकिन डिस्कशन उन सब पर एक साथ ही हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि सदस्यों को अधिकार है मोशन मूव करने का। क्या इस कारण अधिकार दिया जाता है कि बाकी के लोगों पर अविश्वास है? दो कारण हैं। एक तरफ तो किसी मेम्बर को अधिकार है मोशन मूव करने का और दूसरी तरफ मोशन मूव करने के बाद कहा जाता है कि अधिकारों की आड़ ले, तो क्या यह बाकी के मेम्बरों के लिए अविश्वास की बात है। बार-बार उसी प्रकार के मोशन को रखने की आवश्यकता क्यों है और इसका क्या कारण है?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : यह विधि की सहूलियत के लिए किया गया था। एक प्रस्ताव में कोई त्रुटि हो तो दूसरा प्रस्ताव चल पड़े। परम्परा का सवाल हल हो चुका

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष)
है अब माननीय सदस्य श्री माधोसिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करें।

**श्री भैरोंसिंह**(१४): ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, पहले जो सदन में प्रस्ताव आया है तो क्या उसमें कोई त्रुटि है, सदन में वह मूव किया जाता है और फिर दूसरे प्रस्ताव को मूव करने की इजाजत दी जाती है तो यही समझा जा सकता है कि या तो उसमें कोई त्रुटि है और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो दूसरे प्रस्ताव अनुचित हैं। इसलिए इस प्रकार के बेकार और व्यर्थ के प्रस्तावों को सदन में रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष**: अगर १० प्रस्ताव भी आयें तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह ठीक है।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे जो प्रस्ताव हैं, स्पीकर के चुनाव के सम्बन्ध में, वे सब बेकार और व्यर्थ हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि वे इन शब्दों को वापिस लें।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

इस सदन के माननीय सदस्यों का यह अधिकार है कि सदन में जो भी प्रस्ताव रखें सोच-समझ कर रखें। जो सोच-समझ कर प्रस्ताव रखे हैं उनको "बेकार और व्यर्थ" कहने का अधिकार माननीय सदस्य को नहीं है। माननीय सदस्य ने ऐसे रिमार्क देकर उन माननीय सदस्यों का अपमान किया है जिन्होंने ये प्रस्ताव रखे हैं और सदन का भी अपमान किया है, इस प्रकार के शब्द, "बेकार और व्यर्थ" कह कर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने इन शब्दों वापस लें!

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष**: मैं समझता हूँ कि 'बेकार और व्यर्थ' शब्द अनपार्लियामेन्टरी नही हैं।

**श्री जनार्दनराय नागर**: माननीय सदस्य ने विधिवत् जो प्रस्ताव सदन में रखे गये हैं उनको 'बेकार और व्यर्थ' कहा है। यह सदस्यों का अपमान है और उनके मूलभूत अधिकार का भी हनन है....

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): हियर, हियर।

**श्री जनार्दनराय नागर**: सदन का अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे इन शब्दों को वापिस लें।

[शोरगुल]

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष**: Order please!

**श्री जनार्दनराय नागर**: अध्यक्ष महोदय, I stress that this is very foundamental thing, Mr. Speaker, Sir, only a remark which I passed yesterday regarding oath was taken as breach in the Assembly. To-day the very right of Hon'ble members is being questioned by him as without.......

**श्री भैरोंसिंह**: ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वे आप हैं।

**श्री जनार्दनराय नागर** ...Mr. Speaker Sir......

**श्री भैरोंसिंह**: On a point of order, Sir.........

**श्री जनार्दनराय नागर**: Mr. Speaker, Sir,.........

**एक माननीय सदस्य**: यह किस बात पर भाषण हुआ है।

(शोरगुल)

Page No.17



**श्री कार्यकारी अध्यक्ष**—Order please ! Order please !

**श्री तनसिंह**—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य ने संसदीय परम्पराओं को भंग किया है। माननीय सदस्य उठे, न पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया और ऑर्डर होने पर भी एक दफा नहीं, दो दफा होने पर भी, माननीय सदस्य खड़े रहे।

**श्री भैरोंसिंह** : इसलिए माफी मांगनी चाहिए।

**श्री तनसिंह** : संसदीय शिष्टाचार····

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Order please !

**श्री जनार्दन राय नागर**: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि आगे की कार्यवाही हो, बेकार और व्यर्थ के शब्द जो दूसरे प्रस्तावों के बारे में काम में लाये गये हैं उनको वे वापिस लें। यह सदस्यों का अपमान है और उनका अपमान सदन का अपमान है।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मैं समझता हूँ कि 'बेकार और व्यर्थ' शब्द अनपार्लियामेन्टरी नहीं हैं।

(करतल-ध्वनि)

किसी मेम्बर या कार्यवाही के खिलाफ नहीं कहा गया, केवल विशेष संदर्भ में एक कड़ा भाव व्यक्त करते हैं और इस प्रकार हर शब्द पर लेबल लग जाय तो बहस करना कठिन हो जायगा। 'बेकार और व्यर्थ' के शब्द अनपार्लियामेन्टरी नहीं हैं। यही मेरा रूलिंग है।

**श्री भैरोंसिंह** : उनको, इर्रिलेवेन्ट एटीच्यूड (irrelavant attitude) के लिए हाउस से एप्रीसियेशन मिलना चाहिए।

## श्री रामनिवास मिर्धा का अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : श्री माधोसिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे।

('पहले ही मूव हो चुका' ऐसी आवाज़)

**श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Mr. Speaker, Sir, I second the motion moved by my friend Shri Madho Singh.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : अब श्री तनसिंह अपना प्रस्ताव रखेंगे।

**श्री तनसिंह** (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव है, "That Shri Narendra Singh (Div. No. 112), M. L. A., be chosen as Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : श्री सरदारसिंह।

**श्री तनसिंह** : मेरा ख्याल है कि मुझे इस विषय में बोलने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष, जहां तक सदन मानता है····

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, मैं समझता हूँ आम तौर पर जो प्रस्ताव किये जाते हैं उन पर आम तौर पर भाषण नहीं दिया जाता।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : भाषण आप बाद में दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे; मोशन मूव कर दें।

**श्री तनसिंह** : मूव करने के बाद मैं भाषण देने का क्या अधिकार होगा, यह स्पष्ट कर दें।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : श्री सरदारसिंह।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : श्री नरेन्द्रसिंह जी के लिए श्री तनसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** श्री मोतीलाल अपना प्रस्ताव रखेंगे।

**श्री मोतीलाल चौधरी** ( डीडवाना ) : Mr. Speaker, Sir, I beg to move, "That Shri Ram Nivas Mirdha (Div. No. 139) M. L. A., be chosen as Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly."

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** श्री किशनलाल।

**श्री किशनलाल शर्मा** (नाथद्वारा) : श्री मोतीलालजीने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किया है श्री रामनिवास जी मिर्धा के स्पीकरशिप के बारे में, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** अब मैं माननीय सदस्य ......

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर सिटी पश्चिम) : On a point of Order, Sir, there are two persons there. They may be given an opportunity so that we may look on them. I do not know any of them, Sir.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** क्या आपके ही लाभार्थ उनको खड़ा किया जाय ?

( विराम )

यदि सदन की यह इच्छा है तो वे खड़े हो सकते हैं।

( श्री ज्वालाप्रसाद के खड़े होने पर एक माननीय सदस्य, "आपका नाम नहीं है" )

( हंसी )

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** I think the proceedings should be serious. Two names have been proposed. It is considered that those people are known. We are going to vote for them and on a request of a member of the House to make stand the two candidates it will not be, I say, graceful for the House.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हाउस की मर्जी हो तो दोनों खड़े हो सकते हैं।

**श्री अर्जुनदास :** May I suggest one thing, Sir ? You ask the candidates how they like this idea of mine ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष :** There is no need of asking them. जो मोशन किये गये हैं उन पर बोल सकते हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष का निर्वाचन सदन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है और उसके बारे में आमतौर से सदन में वाद-विवाद होना उचित नहीं होगा। उससे हो सकता है कि कुछ बातें इधर या उधर कही जायं। वे आगे जाकर उस पर असर रखती हैं, और उन चीजों को न कहा जाकर राय जाहिर की जाय तो उचित होगा। मैं अधिकार के सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन सब माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है। एक स्वस्थ परम्परा, जो आमतौर पर कई जगह है और इस हाउस में भी पहले एकमत से स्पीकर का चुनाव हुआ था; हम चाहते थे कि वही परम्परा यहां भी उसी तरह से हो सके और अध्यक्ष का चुनाव एकमत से हो सके तो बहुत अच्छा होता,

# Page No.19



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

लेकिन वह किसी कारण से नहीं हो रहा है; फिर भी वाद-विवाद से कटुता सम्भव हो सकती है। उसे हम दूर कर सकते हैं और उसे दूर करना सदन के वातावरण की दृष्टि से और इस पद के महत्व की दृष्टि से, मैं समझता हूं, उचित होगा कि हम वाद-विवाद के अन्दर न पड़ें।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता ने जिस प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को उनकी विचारधारा से सहमत होना चाहिए। आज के पांच वर्ष पूर्व जिस समय राजस्थान में प्रथम अधिवेशन विधान सभा का हुआ था उस समय भी इस सदन के सामने इस प्रकार का एक प्रश्न उपस्थित हुआ था। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह सौभाग्य था कि राजस्थान के सत्तारूढ़ दल और राजस्थान के विरोधी दल ने, दोनों ने मिलकर इस प्रकार का निर्णय ले लिया कि सदन के सत्तारूढ़ दल की ओर से माननीय अध्यक्ष के पद के लिए किसी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जायगा और विरोधी दल उस प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन करेगा और उसी प्रकार से व्यवस्था यह भी हुई थी कि विरोधी दल की ओर से किसी एक सदस्य का उपाध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित किया जायगा और सदन के विरोधी दल के नेता ( सदन के नेता ) इस प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। आज से पांच वर्ष पूर्व हमने इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा का निर्माण किया था और उस स्वस्थ परम्परा से केवल इतना ही नहीं कि राजस्थान के लोग इस प्रकार की परम्परा से परिचित हों, लेकिन हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे भारतवर्ष की लोक सभा के अध्यक्ष, स्वर्गीय मावलकर साहब ने उसको एप्रिशियेट करते हुए सदन को नहीं, बल्कि सदन के कर्ता धर्ता जो हैं उनको धन्यवाद अर्पित किया था। मैं समझता हूं कि आज सदन का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं चाहता होगा कि उन परम्पराओं को तोड़ना है।

अब प्रश्न केवल यही आता है कि यदि उन्ही अध्यक्ष को जो पिछले पांच वर्षों में सदन के अध्यक्ष थे आज सदन का अध्यक्ष बनाया जाता तो इस कठिनाई की ओर सोच सकते थे कि सदन का अध्यक्ष सत्तारूढ दल की ओर से हो और सदन का उपाध्यक्ष विरोधी दल की ओर से हो, लेकिन इस समय जिस समय कि नामांकन का मोशन सदन में प्रस्तुत किया गया तो हमें आश्चर्य हुआ कि दुनिया भर की परम्पराओं की दुहाई देने वाली सरकार, दुनिया भर की परम्पराओं को सामने रखने वाली सरकार, बाकी के विरोधी सदस्यों को उन परम्पराओं को निभाने के लिए कहने वाली सरकार को बता देना चाहता हूं कि वे दूसरे सदस्य का नाम इस सदन के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर रहे हैं....

**श्री सोहनलाल भटनागर** : रूल ७ के सब रूल ( ४ )

**श्री अर्जुनदास** : Louder please.

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर) : बिल्कुल क्लियर है। "The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved and decided, if necessary, by division..."

तो मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मोशन मूव हो गया है उसको सेकन्ड भी

# Page No.20



( श्री सोहनलाल भटनागर )

कर दिया गया है तो आगे की स्टेज आती है, "कि motion may be put to vote." जिस समय मोशन मूव हो गया है तो डिस्कशन नहीं किया जाय और वोटिंग के लिए रख दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के वह रूलिंग ध्यान में नहीं होगा, जिस प्रकार का निर्णय अभी दो मिनिट पहले आपने दिया है कि सदन में जो सदस्य बोलना चाहें वे बोल सकते हैं। वे इस पर ध्यान देते और मस्तिष्क में बैठाते तो उनको यह आवश्यकता नहीं पड़ती कि रूल ५, ६ या ७ का उदाहरण देकर हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर कुठाराघात करने की चेष्टा करते। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसका समर्थन भी किया गया है तो जो प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले और समर्थन करने वाले होते हैं उनमें इतनी ताकत होनी चाहिये कि विरोधी दल को अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने दें और प्रस्तुत करने के बाद जो उचित जवाब हो वह जवाब देकर उनकी शंकाओं का निराकरण करें। यह सिस्टम कि न सुनें और न कहने दें, ये दोनों चीजें तो आज के प्रजातन्त्र में नहीं चल सकती हैं। इस प्रकार के हमारे अधिकार पर जब कुठाराघात हो, माननीय अध्यक्ष, तो हम चाहेंगे कि हमारे अधिकारों के कस्टोडियन होने के नाते हमें संरक्षण दें कि बहुमत, हम अल्पमत में होने के कारण, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात नहीं कर सके।

मैं अर्ज कर रहा था कि परम्पराओं की दुहाई दी जा रही है, लेकिन परम्पराओं की दुहाई देने वालों को, जो अध्यक्ष पिछले पांच वर्षों में राजस्थान विधान सभा के थे उन्हीं को अध्यक्ष पद पर लाकर सुशोभित करना चाहिए था। हम समाचार पत्रों में पढ़ते थे, स्पीकर्स कॉन्फ्रेन्सेज़ होती थीं उनके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलो था, लेकिन आज तो जो समाचारपत्रों में बात पढ़ने को मिली थी वह अब किताबों में मिलने लगी है। जिन किताबों में स्वर्गीय मावलंकार ने लिखा है, जिन किताबों में माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जिसके बारे में श्री लालबहादुर शास्त्री ने लिखा है उन पुस्तकों में ऐसे कर्त्ता-धर्त्ताओं ने लिखा है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होना चाहिये। ग्वालियर कान्फ्रेन्स में तो इस बात की भी व्यवस्था की जा रही थी कि इस सदन के अध्यक्ष के लिए इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाय कि राजस्थान में निश्चित रूप से जितने भी राजनैतिक दल हों वे एक होकर इस प्रकार की नींव डालें कि अध्यक्ष के मुकाबले में आम चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा न कर के उनको निर्विरोध लायें। लेकिन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और श्री मावलंकरजी ने इस बात पर विचार किया कि आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में राजनैतिक पार्टियें....

**श्री सोहनलाल भटनागर** : अध्यक्ष महोदय, मेरे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर पहले डिसीजन होना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** : वह सब्स्टेन्शियल नहीं था इसलिये जवाब नहीं मिला।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह आप कैसे कह सकते हैं ?

**श्री सोहनलाल भटनागर** : मैंने कहा था कि मोशन रखा गया और सैकन्ड किया

(श्री सोहनलाल भटनागर)

गया, अब उस पर सिवाय वोटिंग के कोई दूसरी स्टेज नहीं हो सकती।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मोशन पर डिस्कशन हो सकता है लेकिन यह डिस्कशन नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी ने कोई बात कही थी उस पर जवाब दे रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (जारी) : मैं यह कह रहा था कि उस समय श्री मावलंकरजी और नेहरूजी ने यह विचार किया कि भारत में आज राजनैतिक दल इस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बैठाया जाय और उसके सामने कोई चुनाव नहीं लड़े, यह वे स्वीकार कर लें। लेकिन अन्ततोगत्वा यह विचार किया गया कि यदि किसी एक पार्टी का स्पीकर है और वह चुनाव लड़ता है और जीतता है तो जीतने के बाद सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है कि पार्टीबाजी को भुलाकर उसी को स्पीकर चुनने की परम्परा को बरतना चाहिये। लेकिन आज हमें यह देख कर अफसोस हुआ कि परंपरा की बातें कहने वालों के द्वारा ही परंपरा का उलंघन किया गया। मैं समझता हूँ कि ग्वालियर कॉन्फ्रेन्स में इस बात का उल्लेख किया गया था कि स्पीकर इस प्रकार का होना चाहिये कि वह दलगत राजनीति से ऊपर हो और उसका एक ही उपाय है कि उनको पार्टी पोलिटिक्स से दूर रखा जाय और दलगत राजनीति से दूर रखने का यह उपाय है कि उनको दुबारा चुना जाय। अगर हमें बताया जाता कि यह कँडीशन थी कि दलगत राजनीति से ऊपर हो, उसका उलंघन हुआ है तो हम मानते कि उसका उलंघन हुआ है; तो भविष्य में स्पीकर सतर्क होकर काम करें। लेकिन यदि किसी कारण से कोई मिनिस्टर या मेम्बर नाराज हो जाय, इस कारण से रद्दोबदल हो सकता है तो हमें भी सोचना पड़ेगा।

जिस समय राजस्थान और अजमेर का विलय हुआ था और जिस समय अजमेर शामिल हुआ था उस समय जो वेलिडिक्टरी स्पीचेज़ हुई थीं उस समय मुख्य मंत्रीजी ने उन स्पीकर साहब के बारे में प्रफुल्लित और पल्लवित होने की जो बातें कहीं थीं वे आज कहाँ गईं? यदि हम उन पर ध्यान दें तो पता चले। मेरे पास उस समय के भाषण की प्रति मौजूद है। उस समय कहा गया था कि सदन के उतार-चढ़ाव के मौकों पर काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं; प्रजातंत्र के इस शैशवकाल में आपने जो मार्ग दर्शन किया है उसके लिये हम प्रफुल्लित और पल्लवित हुए हैं....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : क्या-क्या हुआ? ऐसी तो भाषा भी मुझे नहीं आती।

**श्री भैरोंसिंह** : शब्दों में हेर फेर हो सकता है लेकिन भाव एक ही है। अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं उसे पढ़ देना चाहता हूँ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय नेता ने सदन में जो कुछ कहा वह इस प्रकार है :

"अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सदन के उतार-चढ़ाव के मौकों पर आपको काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं, पर आपने जो हमारा मार्ग दर्शन किया उसके लिये मैं सदन के सभी

# Page No.22



( श्री भैरोंसिंह )

माननीय सदस्यों की तरफ से आपको धन्यवाद दूँ, तो अनुपयुक्त न होगा और इस बात को जानते हुए भी कि पिछले दो वर्षों में मुझे इस स्थान पर बैठकर कार्य करने की जिम्मेदारी मुझ पर रही, कई खामियां हो सकती हैं और उन खामियों को जानते हुए भी जो कुछ हमसे प्रयत्न हो पाया उस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की उसमें जो खामियां रही हैं उसके लिये सभी सदस्यों से क्षमा याचना करना चाहूँगा और आम तौर मे जो सहयोग सबसे प्राप्त हुआ उसके लिये धन्यवाद देना चाहूँगा।"

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : प्रफुल्लित और पल्लवित किधर गये ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : माननीय मेम्बर अपने सिद्धान्त पर रहेंगे कि ज्यादा समय सदन का समाप्त न हो।

**श्री भैरोंसिंह** : समय का पूरा ध्यान रहेगा। शब्दों में कुछ हेर–फेर हो सकती है, लेकिन भाव एक ही हैं। इस प्रकार के भाव माननीय नेता ने उनके लिये प्रगट किये थे। शब्दों में हेर–फेर है, लेकिन भाव एक ही है। तो उन्होंने अध्यक्ष महोदय की रेस्पेक्ट में उनको मार्ग दर्शन के लिये धन्यवाद अर्पित किया था अक्टूबर ५६ में। तो मैं समझता हूं कि सन् ५६ के अक्टूबर में विधान सभा के जिस अध्यक्ष की प्रशंसा में जो शब्द कहे गये उसके विपरीत अप्रेल ५७ में कौन-सी ऐसी बात हो गई जिसके कारण सब परम्पराओं को तोड़ कर दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हो सकता है कि ४ महीनों में उनमें कुछ कमियां आई हों। लेकिन इन चार महीनों में तो और कोई काम ही नहीं हुआ, सिवाय चुनाव के कोई अधिवेशन नहीं हुआ....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि किस चीज पर भाषण हो रहा है ? मोशन पर हो रहा है या किस पर हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया ? आप मार्ग दर्शन करें तो उचित हो।

**श्री भैरोंसिंह** : यह कन्वेन्शन पर हो रहा है। आपने कहा कि ऐसी परंपरा होनी चाहिये तो उसकी खामी कहाँ हुई है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम यह कहना चाहते हैं कि परंपरा किसने तोड़ी....

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : इस समय मोशन पर बहस होनी चाहिये। परम्परा का सवाल नहीं था।

**श्री भैरोंसिंह** : परम्परा की बात नेता ने कही थी।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : थोड़े शब्दों में खत्म करिये।

**श्री भैरोंसिंह** (जारी) : मामला अहम है। मैं इन बातों में नहीं जानना चाहता जो पिछले चार-पांच महीनों में हुई। लेकिन मैं सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि वे इस सदन के सामने स्थिति को रखें कि मावलंकर जी के निर्णय के विरुद्ध और नेहरू जी के निर्णय के विरुद्ध आज इस प्रकार का स्टेप क्यों लिया जा रहा है ? या तो राजस्थान के लोग ऐसा समझते हैं कि जो दिल्ली में उच्च स्थानों पर बैठे मार्ग-दर्शन करते हैं वे किसी प्रकार का निर्णय लें उस पर चलने के लिये राजस्थान के लोग पाबन्द नहीं हैं;

( श्री भैरोंसिंह )

यदि ऐसा है तो नेता चाहे जैसा करें। लेकिन वे यह कहने की स्थिति में नहीं हैं और यह कहने की स्थिति में नहीं हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज ऐसी क्या बात है जो दूसरे व्यक्ति को लाना चाहते हैं? मैं यह कह देना चाहता हूं कि मुझे दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि कौन काबिल है और कौन ठीक काम कर सकता है या कौन कुर्सी पर बैठ कर काम ठीक कर सकता है लेकिन मैं उनका हवाला देना चाहूँगा जो जनता की आवाज को प्रतिबिंबित करते हैं; टाइम्स ओफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, राउन्ड दि स्टेट्स, टाइम्स ओफ इंडिया, राजस्थान न्यूज़ लेटर, राजस्थान पत्रिका आदि इस बात का सुबूत हैं और कहते हैं कि जनता चाहती है कि इस प्रकार की परम्परा का निर्माण करना है। कुछ पत्रों का तो यह भी कहना है कि नौसिखिया लोगों को बिठाने के लिये यह ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है........

**श्री किशनलाल शाह** (नाथ) : On a point of order, Sir, I object to a reference to be made to the ability of the candidate proposed by the Hon'ble Member. The question before the House is whether today's point is permissible by rules or not ? Long speeches are being made and there is a clash between conventions and rules. Some members express that conventions are preferred, others have expressed that on the changed conditions, conventions should change. One member has suggested that where it is a confilict between conventions and rules, the rules must be preferred. Therefore, under what rule this sort of speech is permissible ? Once the motion is made it should be forthwhith put to vote; whether the Hon'ble Chair will permit the speeches to be made or close the chapter once for all and put the motion to vote ?

**श्री अर्जुनदास** : What is the point of order ? What is illegal ?

**श्री किशनलाल शाह** : I have to suggest that.........

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : The point of order is that the Hon'ble member is going out of point. So I will just request him that he should not go out of point. The matter has been conveyed and he should proceed with main item in hand.

**श्री भैरोंसिंह** : मैं मेन आइटम पर ही बोल रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमें स्वस्थ परम्परा का निर्माण करना है........

**श्रीमती सुमित्रा देवी** (पिलानी) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहूँगी कि एम. एल. एज़ का जो अधिकार है, बोलने का अधिकार है, वह माननीय सदस्य को ही दिया गया है, क्या अन्य सदस्यों को नहीं दिया गया ?

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : आपका अधिकार सबसे पहले है। आप इससे भी अधिक समय ले लें।

**श्री अर्जुनदास** : आप उससे ज्यादा लेना।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** : यह तो अध्यक्ष के ऊपर है। On a point of explanation, I believe that the time is not rationed.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Time could be rationed if it becomes a very dilatory affair.

आप एक मिनट और ले लें

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहें तो बोलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है; चाहे वे विरोध में बोलें, चाहे पक्ष में बोलें। लेकिन यह एक अहम मामला है इसे हमें लाइटली नहीं लेना है।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : अध्यक्ष महोदय, जो समय मुझे दिया जाय वह इनको (श्री भैरोंसिंह को) दे दिया जाय।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : आप विषय परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे पोइन्ट पर जा रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पोइन्ट रख रहा था कि आज परम्परा को क्यों तोड़ा जा रहा है ? इस कन्वेन्शन को तोड़ने के पीछे क्या बात है .. ....

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : कन्वेन्शन के लिए कोई रिज़ोल्युशन तो हुआ नहीं है। आपको काफी अधिक समय मिल चुका है। यह मोशन स्पीकर के चुनाव का है, इस पर जब डिस्कशन हो उस दौरान में कुछ कह दिया जाय, वह बात अलग है। आप एक अलग परिपाटी अख्तियार कर रहे हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे। परम्परा स्थापित करने के लिए वे, जो पहले माननीय अध्यक्ष थे, उनका नाम प्रस्तावित करते और उस प्रस्ताव पर भाषण देते, तो बजाय इस भाषण के, जो आप आधार के ऊपर भाषण दे रहे हैं ज्यादा उचित मालूम होता।

(करतल—ध्वनि)

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : इस सम्बन्ध में निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष कि जो पहले वाले अध्यक्ष हैं, वे एक पार्टी से सम्बन्धित हैं और मैं विरोधी पक्ष का सदस्य हूँ। यदि मैं उनका नाम प्रस्तावित करता तो वे इतने गिरे हुए नहीं हैं कि मेरे प्रस्ताव के कारण पार्टी के तमाम एफीलियेशन्स को तोड़ कर अपनी स्वीकृति दे देते। इस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं सकता।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : यदि आपको उनका नाम प्रस्तावित करना था तो पार्टी का ख्याल न करके आप उनका नाम प्रस्तावित कर देते, इससे किसी को आपत्ति नहीं होती और आप एक स्वस्थ परम्परा को पुष्ट करते।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यह है कि स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं और मैं दूसरी पार्टी का हूँ इसलिए वे स्वीकृति नहीं देते।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आप प्रयत्न तो करते।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : आप स्वीकृति के लिए प्रयास तो करते।

**श्री भैरोंसिंह** : अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, एक लैटर इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह लैटर लोक सभा के भूतपूर्व

( श्री भैरोंसिंह )

अध्यक्ष स्वर्गीय मावलंकर ने हमारे भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री को लिखा है । मैं समझता हूं कि उस पत्र में सब बातों का उल्लेख है और इस बात की आवश्यक्ता नहीं होगी और इस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी कि कन्वेन्शन का किस पार्टी द्वारा निर्माण होना चाहिये और कौनसी पार्टी कन्वेन्शन को बदल रही है ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब अपोजीशन एक सिम्बोलिक अपोजीशन रखे तो जो सहमति की परम्परा है उसके ऊपर वे स्वत: आघात पहुँचा देते हैं । इस दृष्टि से उनको इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि सहमति की परम्परा टूटे और जो मोशन हो चुका है, उस पर विचार करना ही मैं अधिक उचित समझता हूँ ।

**श्री भैरोंसिंह** : यह केवल सिम्बोलिक विरोध नहीं है । अगर मैं उनका नाम प्रस्तावित कर दूं तो मैं जानता हूँ कि वे वापिस ले लेंगे ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : सिम्बोलिक विरोध किया गया है । मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ कि वह जो परम्परा, जिस तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसको तो आघात पहुँच चुका है इसलिए उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है ।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इसलिए है कि इधर के बैठने वाले अभी कन्विन्स नहीं हुए हैं । उनको पता लग जाय कि एक परम्परा को तोड़ रहे हैं फिर शायद वे तैयार हो जायं ।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : हम कन्विन्स्ड हैं कि वे गलत कह रहे हैं ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : वे अपना मत वैसे ही देंगे, जैसी उनकी मर्जी होगी, फिर अधिक जोर क्यों दिया जाय ।

**श्री भैरोंसिंह (१४)** : कन्विन्स करने के लिए कई तरीके हैं, मैं तो सिर्फ बोलने का तरीका ही काम में ले रहा हूँ ।

(हंसी)

यदि वे कन्विन्स्ड हो जाँय तो प्रस्तावित नाम को वापिस ले लें । तो जो दिक्कतें मुझे मालूम हुई हैं, उनके ऊपर वाद-विवाद करना जरूरी है ··· ············

**श्री अर्जुनदास** : There is another procedure also, Sir. If both the hon'ble members withdraw we can have another date fixed and may propose Mr. Narottam Lal Joshi.

**एक माननीय सदस्य** : गर्वनर तो यहीं हैं, तारीख फिर फिक्स करा लें ।

**श्री भैरोंसिंह (१४)** : अध्यक्ष महोदय, मैं उस लैटर के दो कन्टेन्ट्स पढ़ कर सुनाऊंगा, जो बहुत आवश्यक हैं । यह लैटर लिखा हुआ है स्वर्गीय श्री मावलकर का पंडित जवाहरलाल नेहरू को, १० फरवरी १९५४ को; यानि दो वर्ष पहले । उसमें उन्होंने एक रिज़ोल्युशन की कॉपी दी है, जो रिज़ोल्युशन ग्वालियर की स्पीकर्स कॉन्फ्रेन्स में पास हुआ था । वह रिजोल्युशन यह है,

"That this Conference is of opinion that it is desirable in the interest of development of free democratic institutions in this country that a convention should be established to the effect that

# Page No.26



( श्री भैरोसिंह )

the seat from which the Speaker or the Chairman stands for re-election should not be contested in the elections that are held from time to time and steps for making a beginning in that direction may be pressed upon the Government by the Chairman ( of the Conference ) in the light of discussions held in this Conference.

उसके बारे में उन्होंने (श्री मावलंकरजी ने) अपनी ओर से जो लिखा है वह यह है, "You will, I trust, agree that this is a practical proposition which can be put into practice by the Congress as the majority party. Unless, therefore, the person holding office at present as the Speaker is found to be wanting in integrity or in the minimum of competency, there should be no change in the person of the Speaker merely because he is considered to be holding independent views or otherwise felt inconvenient by the Members of the Cabinet or by prominent Congressmen. It was also strongly felt that unless the Speaker's position was strengthened by such convention it was futile to expect the other wider conventions to be established as also to establish the convention that the Speaker should not take part in politics "

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : आपका पैरा काफी लम्बा होता चला जा रहा है ।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा तो यह थी कि आज विधान सभा में, जो भी ग्वालियर में डिस्कशन हुआ, वह सारा का सारा, इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता लेकिन मैंने केवल दो बातें मुख्य रूप से आज प्रस्तुत की हैं और मैं निवेदन करूंगा सदन के माननीय नेता से कि वे यदि इस विधान सभा के अध्यक्ष को विधान सभा की राजनीति, दलबन्दी से दूर रखना चाहते हैं और उसके ऊपर रखकर, जो अल्प मत है उस अल्पमत के संरक्षण की पूरी व्यवस्था करना चाहते हैं तो वे बहुमत का दुरुपयोग न करें । इसके साथ ही मैं यह भी कह दूं कि दूसरे अध्यक्ष जो आयेंगे, वे कम क्वालिफाइड हैं, यह बात नहीं है । वे भी पिछले पांच वर्ष यहां सदस्य रहे, वे यहां की कार्यवाही से अच्छी तरह से परिचित हैं । लेकिन जो हमारा कन्वेन्शन रहा है, जो परम्परा पिछले पांच वर्ष में निर्माण की है····

**श्री किशनलाल शाह** : I beg to seek a ruling from the Chair. What ought to be or what should be is not the point. My point is what the rule is, whereas my hon'ble friend says what the rule should be. What he says is a question of change in the Rule as it is today which is not the point here. I beg to seek a ruling from the hon'ble chair whether it is beyond the scope of the point under discussion ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : आप विषयान्तर बात कह रहे हैं इसलिए समाप्त कर दें । अगर आप मोशन करते हैं और फिर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वह हो सकता है ।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : मैं कन्वेंशन निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय·······

**श्री ज्वालाप्रसाद** : He should take his seat now.

**श्री भैरोंसिंह** : मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर देता हूँ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : अब आप समाप्त कर दीजिये।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुछ बातें इस प्रकार की माननीय सदस्य के द्वारा कही गई हैं, जिनके सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ, मुझे कुछ कहना चाहिए इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कन्वेन्शन्स के सम्बन्ध में कुछ पत्र-व्यवहार और कुछ और और बातें इस सदन के समक्ष रखी गई। मैं नहीं जानता कि वह पत्र-व्यवहार कहां से उनको प्राप्त हुए, इसमें मुझे जाना भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आज, पहले शायद ऐसे भी मौके आये हैं इस सदन में कि उन्होंने वाक आउट भी किया है और वोट ओफ नो कोन्फीडेन्स भी लाये हैं और आज कम से कम वे परम्परा पर बोलने खड़े हुए और उन्होंने ये बातें कहीं, उनमें, मैं समझता हूं, परम्पराओं की उतनी बात नहीं बल्कि जिस माननीय सदस्य का नाम यहाँ रखा गया है उनका विरोध करने की भावना है········

१० म० पू०

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : माननीय अध्यक्ष, मेरे बारे में जो यह कहा गया है उसके लिये मैं यह निवेदन कर दूं ·· ········

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मैं बोल रहा हूँ।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : इन्हें बोलने दीजिये।

**श्री भैरोंसिंह** : आप आज्ञा दें तो?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता, जो पहले इस पद को सुशोभित करते थे, उनके बारे में जो कुछ मैंने कहा, राय जाहिर की, और कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो कार्य यहां पर किया है, उनके कार्यों के बारे में जो कुछ मैंने कहा है, उसको आज कॉन्ट्राडिक्ट करते हों, वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। आज जिस माननीय सदस्य का नाम आया है उसके सम्बन्ध में सदन को निर्णय करना है।

एक बात कही गई कि पिछली बार विरोधी दल के साथ बातचीत करके फैसला किया गया था कि डिप्टी स्पीकर विरोधी दल का होगा, वह परम्परा इस बात से तोड़ी गई इसलिए बहुत सी बातें सामने आती हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि एक विशेष परिस्थिति में उस बार यह निर्णय लिया गया, पर जहां तक परम्पराओं का प्रश्न है, यहां तक कि हमारी संसद में स्पीकर श्रद्धेय मावलंकर थे और डिप्टी स्पीकर श्री अनन्त-शयनम् अयंगर बराबर रहे और वे एक पार्टी के थे। इसी तरह अलग २ असेम्बलियों में एक पार्टी के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं।

हमारे सदन में हम चाहते थे कि हम एक निर्णय से चुनाव करते। विवाद इस तरह से होता है, जब कि मैं आशा करता था कि विरोधी दल के नेता इधर होते, पर मैं अब तक यह नहीं जान पाया हूं कि विरोधी दल के नेता कौन हैं? तो आज इस प्रकार की परि-स्थितियां हैं कि जिनके बीच से हम निकलते हैं, तो यह अच्छा होता कि हम इस वाद-विवाद में नहीं पड़ते, वाद-विवाद में पड़ते हैं और आज्ञा देते हैं तो और बात है।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस वाद-विवाद में न पड़ें तो अच्छा होगा, इसके अन्दर वातावरण की कटुता पैदा होती है। जो अध्यक्ष होगा हम सब चाहते हैं कि निष्पक्षता से इस सदन का काम करे। वह निर्णय तो होगा, इस वाद-विवाद में न पड़ें तो कटुता नहीं होगी। अगर माननीय सदस्यों को वह पसंद नहीं आता और आपकी आज्ञा होती है कि वाद-विवाद होना चाहिए तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से मैं, अभी जो मेरे बारे में मुख्य मंत्रीजी द्वारा कहा गया है, उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। आपने अभी जो यह बात बताई कि अब जो नये होने वाले अध्यक्ष हैं, मुझे उनके बनने से मतभेद है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले वाले अध्यक्ष या नये बनने वाले अध्यक्ष और यहाँ तक कि अंगूठा छाप अध्यक्ष बना सकते हैं, जनतन्त्र की परम्पराओं के अनुसार सदन की स्वस्थ परम्पराओं के अनुमोदन में मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन यह कहना कि मेरा उनसे मतभेद है, इस तरह सदन के नेता ने सदन के नये अध्यक्ष को मेरे सम्बन्ध में प्रेज्युडिस्ड करने की कोशिश की है, सदन के नेता के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं। कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन चुना जाय और कौन नहीं चुना जाय, मैं तो यह कहना चाहता था। मुख्य मंत्रीजी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पहले वाले अध्यक्ष को क्यों नहीं प्रस्तावित किया, उनमें बहुत खामियें हैं जो सदन में रखना नहीं चाहते और दूसरे मेम्बर के सिर पर उन खामियों को थोपना चाहते हैं। मेरा मतभेद दुर्भावना से नहीं है। वे आयें, हम उनके हुक्म की तामील करेंगे। दुर्भावना की कोई बात इसमें नहीं है।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : सदन के नेता ने जो अपील हम सब से की है वह बहुत उपयुक्त है। मुझे थोड़ा सा खेद इस बात से हुआ कि स्पीकरशिप के पद के लिये जो प्रस्ताव किया गया, उनकी परम्परा की रक्षा के बहाने से उन पर परोक्ष रूप से आलोचना की गई, मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ है। जो भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उनके बारे में बहुत सी बातें रखीं। सदन के नेता ने अपील की है कि जिनके नाम रखे गये हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम वाद-विवाद में पड़ेंगे तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। जिसका नाम रखा उनका एक मत से समर्थन करना चाहिये; हमारे सदन के नेता की अपील का यह आशय था, पर इसको अव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। मैं मानता हूं कि जो परम्परा की दुहाई दी गई है वह बनी नहीं है, वह पूर्ण रूप से बन कर इस सदन में प्रतिष्ठित नहीं हुई है, कहीं यह परम्परा नहीं बनी। स्पीकर का चुनाव एक मत से किया जाय यह परम्परा हमारे यहां अवश्य है........

( बाधा )

**श्री तनसिंह** ( बाडमेर ) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर............

माननीय अध्यक्ष, मैं समझ नहीं सका कि आप किस मोशन के पक्ष में या विरोध में बोल रहे हैं? यहां सदन के नेता जो बोले हैं, उस पर वाद-विवाद यदि चलता जायगा तो उसका अन्त नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी प्रस्ताव पर रिलेवेन्ट बोलें

( श्री तनसिंह )

तो दूसरों को भी मौका मिले और सदन का समय बर्बाद न हो।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : माननीय सदस्य प्रस्तावकर्ताओं को बोलने का मौका दें। अब युनेनिमिटी की दृष्टी से तो प्रस्ताव पर डिस्कशन हो ही, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है पर फिर भी पद्धति के अनुकूल हाउस ऑफ कोमन्स में भी यह इजाजत दी जाती है। यदि इस ओर प्रस्तावकों की सच्ची भावना देखी जाय, हाउस की भावना देखी जाय, तो पहले मैं यह सिफारिश करूंगा कि जो प्रस्तावकर्ता है वे अपने केन्डीडेट के विषय में ही बोलें और बिलकुल आउट ओफ पोइन्ट जो विषय हैं उनको न लायें। केन्डीडेट के समर्थन में जो कहना हो केवल मात्र वही कहें।

**श्री तनसिंह** ( बाडमेर ) : माननीय अध्यक्ष, मैं इस विषय में अपना सम्पूर्ण उत्तरदायित्व समझता हूँ कि जो कुछ मैं यहां कहूं उससे किसी व्यक्ति के विषय में या सदन की किसी परम्परा के विषय में ठेस या हानि नहीं हो। इसलिए मैं उन व्यक्तियों के जो यहाँ खड़े हुए है, उनके व्यक्तित्व के विषय में, व्यक्तिगत योग्यता के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, मैंने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के बारे में ही कहूँगा। जैसे कि अभी श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया हम यहां प्रजातन्त्र की प्रणाली द्वारा राजस्थान की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रजातन्त्र की प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिये जितनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व अध्यक्ष पद को है उतना बहुत कम दूसरे अधिकारी या व्यक्ति का होता है क्योंकि वे ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सदन के अन्दर होने वाले वाद-विवाद पर और सब दूसरी बातों का मार्ग दर्शन कराते हैं। इसके अलावा निष्पक्षता से निर्णय करते हैं जिससे हम अपने प्रान्त का भला कर सकते हैं। ऐसी सूरत में इंगलैण्ड वगैरह में जो अध्यक्ष निर्वाचित होता है उसके लिये इस प्रकार की प्रणाली है कि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये किसी को भी विरोध में खड़ा नहीं किया जाता और वह हमेशा निर्विरोध चुना जाता है और उसके बाद जब सदन का सदस्य बन जाता है तो उसको अध्यक्ष-पद के निर्वाचन के लिए उन परम्पराओं को अच्छी तरह से मानना चाहिये और मानते हैं और उनका स्वागत करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि आज भी सदन के नेता उन्हीं व्यक्ति को जो पहले इस सदन के अध्यक्ष थे, प्रपोज़ करते तो मैं उनका स्वागत करता और अपने इस प्रस्ताव को सहर्ष वापिस ले सकता था।

इसके साथ दूसरी बातों का और परंपराओं का, जिनके विषय में सदन के नेता ने कहा कि विरोधी दल का कान्स्टीट्युशन क्या बना, उपाध्यक्ष के पद को देने का जिक्र उन्होंने किया लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वे ........।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि आपके रूलिंग के बाद जो मोशन मूव हुआ है उसके बारे में आपने अभी फरमाया कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता; आप जनरल बातें कहते, मगर मैं नहीं समझता कि आप जो कह रहे हैं ये मोशन पर है। आप तो स्कोप के आगे बढ़ रहे हैं।

**श्री तनसिंह** : यह एक कुदरती बात होती है, टोकन होता है। मैं जानता हूं और

( श्री तनसिंह )

अच्छी तरह से जानता हूं, वे अपना ही अलाप रखेंगे। मैंने सिद्धान्त के आधार पर ही यह रखा है। किसी प्रस्ताव पर बोल कर बहस बढ़ा रहा हूँ, यह तो नहीं है; मैं तो समझता हूं कि य: सिद्धान्त की बात है और मैं सीमित ही बोल रहा हूं। यह सदन के नेता के ध्यान में नहीं आती है तो यह दुर्भाग्य की बात है। मैं तो उचित ही समझता हूँ, भले ही सदन के नेता को अनुपयुक्त जंचती हो, उनको अच्छी महसूस नहीं होती और होनी नहीं चाहिये क्योंकि स्वयं परम्पराओं को उधर से ही तोड़ा जाता है। यह कहा जाता है कि हम इस पर भाषण भी न दें और बोलें भी नहीं और साथ ही साथ बिना किसी विवाद या निर्विरोध रूप से चुनाव को संपादित करें, यह यहां कहा जाता है; हमतो पूर्ण रूप से तैयार हैं और तैयार रहेंगे भी, लेकिन जहां तक परम्पराओं को निभाने का सवाल है, वे उन्हें कहां तक निभाते हैं? जहां तक मैं समझता हूं कि किसी सत्ता में, किसी पार्टी में, दल विशेष सत्ता प्राप्त करता है और उसकी परछांई भी यदि हमारे यहां पहुंचती है तो यह हमारे प्रजातन्त्र का दुर्भाग्य होगा। यदि कोई राजनैतिक दल आज शासन करता है, कल दूसरी पार्टी की मिनिस्ट्री हो सकती है उसके बदलने के साथ साथ अध्यक्ष महोदय भी बदलते जावें तो निष्पक्षता को जो हम किसी अध्यक्ष के प्रति एक्सपेक्ट करते हैं नहीं कर सकते क्योंकि ... ....

**श्री जनार्दनराय नागर** : On a Point of Order, Sir, माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस मोशन पर बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वे उसूलों के आदेश और परम्पराओं की बातें कर रहे हैं। अभी अभी फरमाया कि जो मोशन पेश है उस पर बोला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या बहस है?

**श्री तनसिंह** : माननीय सदस्य कान से सुनें और आँख से देख लें तो उनको मालूम होगा। मैंने शुरू से ही बताया कि मैं अपने प्रस्ताव के विषय में, जो विषय-सूची में तीन नम्बर पर दर्ज है, बोल रहा हूँ। यदि इतना भी आप ज्ञात नहीं कर सकते तो यह हमारा दुर्भाग्य है। मैंने प्रस्ताव मूव किया, इसके बाद में जब अध्यक्ष की आज्ञा प्रदान हुई तभी मैं बोल रहा हूं।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे मोशन तक सीमित रहें और भाषण को संक्षिप्त और सीमित बनावें।

**श्री तनसिंह** : मैंने यह प्रस्ताव जिस परिपाटी व परम्पराओं के निभाने के लिए रखा है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और यह कहूं कि यह प्रस्ताव क्यों रखा है, मैंने खास करके उसे आपको पढ़ कर सुना दिया है कि मेरी आउटलाइन (outline) इस प्रस्ताव के विषय में क्या है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बार बार टोका जाता है। यह वे नहीं करें तो अच्छा हो। इससे सदन का अमूल्य समय नष्ट नहीं होगा और मुझे भी अपना प्रवाह तोड़ना नहीं पड़ेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि हम हमेशा विरोधीदल के सदस्य और मैं तो यह कहूंगा कि विरोधीदल का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिये सदैव तैयार रहेगा कि इस सदन में स्वस्थ परम्पराएँ कायम हों और इसका बहुत कुछ आधार हमारे अध्यक्ष पर रहता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा

( श्री तनसिंह )

कि ये परम्पराएं उधर से ही तोड़ी जाती हैं। इसलिए उन परम्पराओं को निभाने का वे लोग नहीं कह सक्ते जो स्वयं उनको तोड़ने का उदाहरण पेश करते हैं।

अब दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसके अलावा, कि पिछली बार जब स्पीकर का चुनाव हुआ था तो यह बात हुई थी कि विरोधीदल की ओर से एक डिप्टी स्पीकर मनोनीत किया गया था लेकिन इस बार............

**श्रीमती कमला बाई श्रोत्रिय** ( भील-वाड़ा) : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी दल विशेष का आक्षेप करके वाद-विवाद नहीं बढ़ाया जावे। आज सदन के सामने यह प्रश्न है और जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उस पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें। हमारे सामने प्रस्ताव यह है कि एक मत से हमारा अध्यक्ष चुना जावे या उसमें दो नाम आये हैं उस पर मत लिया जावे। इसके सिवाय कोई बात ही नहीं, यों ही विवाद बढ़ता है। इसलिये मैं समझती हूँ कि हमारे सदस्यों के लिये यह सोचना है और सोचना रह जाता है कि हमारा एक मत या बहुमत है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी सदन के सदस्य के बारे में "कान से सुनते हों या आंख से देखते हों" इस प्रकार के शब्दों का सदन में प्रयोग नहीं करना चाहिये।

**श्री तनसिंह** : माननीय अध्यक्ष, मैंने "कान से सुनने और आंख से देखने" की बात ही तो कही है। सभी लोग आंख से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। मैंने यह तो नहीं कहा कि कानों से देखते हैं और आंखों से सुनते हैं।

मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार न टोका जाए।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन के नेता ने यहां तक कहा कि विरोधी दल का नेता कौन है, उन्हें मालूम नहीं। यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि इस सदन के नेता का ध्यान है ही नहीं, अखबार भी जब छपते हैं, प्रस्ताव भी पास होते हैं और उनकी सूचनाएँ स्पीकर को और असेम्बली के सेक्रेट्री आदि को दी जाती है। अब यह नई परम्परा हो कि उसकी एक कॉपी सदन के नेता को भी भेजी जावे और उन सब की इत्तिला सदन के नेता को दी जानी चाहिये।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : क्या नेता का भी इससे संबन्ध है ?

**श्री तनसिंह** : मैं विरोधी दल के नेता के चुने जाने के लिए सदन के नेता ने जो बात कही थी उसी सिलसिले में निवेदन कर रहा हूँ, सदन के नेता की उक्त शंका का समाधान करने के लिए यह निवेदन कर रहा हूँ। तो मेरा यह निवेदन करना है कि जो कार्यवाही करना चाहते तो वह हो सकती थी। अगर सदन के नेता को मालूम नहीं था तो यह हमारा ही दुर्भाग्य है। इसके अलावा हम यह अच्छी तरह से जानते है कि जिनके पास बहुमत है, जिन्हें इस बात का बड़ा आभास और गर्व है कि उनके पास बहुमत है, वह इसके आधार पर, मैं समझता हूँ, कि किसी भी व्यक्ति को यहां अध्यक्ष–पद पर बैठा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी से वह किसी भी सदस्य को इस अध्यक्षपद पर बिठाना चाहते हैं, यदि

( श्री तनसिंह )

भविष्य में भी उतना ही उत्तरदायित्व रखते हैं तो मैं अब भी सदन के माननीय नेता से कहूँगा कि एक व्यक्ति विशेष को जिन्हें कि प्रस्तावित किया गया है, इस सदन के अध्यक्ष के लिए, जब तक वे या उनकी पार्टी सत्ता में रहे तब तक भी उनको रखें, तब भी मैं समझता हूँ कि वह एक स्वस्थ परम्परा को कायम रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह परम्परा कभी नहीं रही है और हमेशा ही इस परम्परा को तोड़ा जाता है। इन परम्पराओं को इसलिए तोड़ा जाता है कि अपने लोगों को इससे सन्तुष्ट रखें, इन परम्पराओं को इसलिये तोड़ा जाता है कि उनके पीछे जो बहुमत है उसको बनाये रखें। तो इस तरह से, वह केवल इस आशय से अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न लेते हैं। तो यह हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है और अब मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हूँ यदि सदन के माननीय नेता इन दो विकल्पों में से कोई भी एक मान लें, लेकिन मैं देखता हूँ कि सदन के माननीय नेता केवल बहुमत के आधार पर किसी काम को करना चाहते हैं; इसलिए मुझे खेद है कि मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने में असमर्थ हूँ और सदन के प्रत्येक सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वे इसका समर्थन करें, केवल इसलिए नहीं कि वह किसी दल विशेष के उम्मीदवार हैं लेकिन इसलिए कि हमारे सदन में प्रजातंत्रवाद को पनपने के लिए वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें।

**एक माननीय सदस्य** : परम्पराओं का पुराना किस्सा है। राजे और रानियां भी थीं। प्यारे बापू कह गये कि हम लोगों को इस जमाने के अन्दर, नये संसार के अन्दर चलना चाहिए। तो इन पुरानी परम्पराओं को अब छोड़ो।

**श्री अध्यक्ष** : Now I spoke...

**श्री सतीशचन्द्र** (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो नाम प्रस्तावित हुए हैं.......

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने प्रस्ताव रक्खा है और जिन्होंने उसका अनुमोदन किया है केवल वही बोलेंगे या इस समय सदन के हर एक सदस्य को इस पर बोलने का अधिकार है?

**श्री सतीशचन्द्र** (१३.१) : मैं समझता हूँ कि इस समय सभी अपने विचार सदन के सामने रख सकते हैं।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : केवल जो प्रस्तावकर्त्ता हैं या जो अनुमोदन-कर्त्ता हैं वही बोलेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र** (१३.१) : जो प्रस्ताव कर्त्ता हैं या जो अनुमोदनकर्त्ता हैं वे तो बोलेंगे ही, मगर जो इन प्रस्तावों के पक्ष में हैं वे भी तो बोलेंगे।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : आप क्या प्रस्ताव के समर्थन में बोलेंगे?

**श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्रसिंहजी के अध्यक्ष-पद के लिए चुने जाने के लिए जो मैंने प्रस्ताव रखा है मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परम्परा तो यही है कि जो सदन के नेता हैं वे अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए विरोधी दल को ऊंचा उठाते और उसको प्रोत्साहन देते। लेकिन हमारे सदन के नेता ने यह फरमाया कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो आपको चाहिए कि विरोधीदल के अस्थाई नेता, जिनका कि नाम भी इन्होंने भेज दिया था; विरोधी दल के नेता से परामर्श करना उचित था। सदन के नेता परम्परा कायम

# Page No.33



( श्री सरदारसिंह )

रखना चाहते थे तो इनको बुलाकर शिष्टाचार के नाते वाद-विवाद करते और कहते कि आप हमें इस विषय में बतायें और फिर हम सभी मिल कर इस पर निर्णय लेंगे, मगर ऐसा नहीं किया गया। इंग्लैंड में विरोधी दल को सब बढ़ाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको सभी प्रकार का प्रोत्साहन देते हैं और उसका काफी ऊंचा स्थान होता है लेकिन यह परम्परा तो आपकी तरफ से ही तोड़ी जाती है। विरोधी दल को, अल्पमत होने के लिए आप भी कुचलते हैं क्योंकि अगर आप हमसे सलाह लेते या हमसे परामर्श करते तो आज इतनी बाधा ही नहीं पड़ती। आप विरोधी-दल के सदस्यों को बुलाकर बात करते। मगर हमारे नेता ने इन बातों को आपसे अर्ज भी किया मगर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद में डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है, उसमें भी मुझको कोई आशा नहीं दिखाई देती। आपको इसमें क्या एतराज है ? क्या आपका विचार विरोधी दल को कुचलना है ? कम से कम आपको चाहिए कि अब भी समय है इसलिए आप अब भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव विरोधी दल में से करावें।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : अब डिस्कशन तो हो चुका है। अब जो पहला मोशन है ......

**श्री सतीशचन्द्र** (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने की अनुमति चाही थी और आपने कहा था कि जब प्रस्ताव-कर्त्ता और अनुमोदनकर्त्ता बोल लेंगे उसके बाद समय दिया जायगा।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मगर अधिक समय न लीजिए।

**श्री सतीशचन्द्र** (जौहरी बाजार, जयपुर): यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि श्री रामनिवास मिर्धा को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाय, उसके विरोध का मुख्य कारण मैं समझता हूं कि कोई व्यक्तिगत नहीं है परन्तु यदि उसकी पृष्ठ भूमिका पर विचार किया जाय तो मेरे विचार से अधिकांश सदन के साथी मुझसे सहमत होंगे। आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व जब इसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी और हमारे माननीय अध्यक्ष, जो कि पहले अध्यक्ष थे, उनके विरोध में जो एक पत्र अपनी पार्टी के कुछ लोगों के दस्तखत करा कर भेजा था उस पर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान यानि पण्डित जी ने उसका जवाब जिन शब्दों में दिया था उनका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और आज हम फिर देखते हैं कि जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम तक आज प्रस्तावित नहीं हुआ। जो पत्र हमारे दल के नेता ने भेजा था उसके उत्तर में हमारे कांग्रेस के प्रधान ने जो प्रत्युत्तर दिया उसके सम्बन्ध में केवल दो चार लाइनें मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना उचित समझूंगा। उन्होंने लिखा था :

( मूल उद्धरण अनुपलब्ध )

यह उत्तर उन्होंने उनके लिए दिया, उनके डी० सी० सी० की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के कारण और चूंकि कांग्रेस के प्रधान से उनको इस प्रकार का करारा जवाब मिला तो उसी के कारण उसी पृष्ठ भूमिका के उत्तर में यह दूसरा प्रस्ताव रखा है। यह जो अध्यक्ष पद के लिए नाम आया है, मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्यों ने इस पृष्ठ भूमिका के आधार पर, जब कि हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि यह अनविज़डम है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की पृष्ठ भूमिका में इस नाम का हमें घोर विरोध करना चाहिए और इसी के

# Page No.34



आधार पर मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसलिए इसको हमें कभी पारित नहीं करना चाहिए।

**श्री जगदीश प्रसाद** (सीकर): माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये आया है मैं उसका विरोध करता हूँ और इस विरोध का आधार यह है कि हमने भारत में जनतन्त्र की परम्परा कायम की है और भारतवर्ष के अन्दर जब परम्परायें ले रहे थे. जब हमारा संविधान बना और इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, जो मदर ऑफ पार्लियामेंट कहलाती है, उसके अन्दर भी कन्वेंशन्स होते हैं और वे कन्वेन्शन्स कोई लिखित नहीं हैं, वह कोई कानून नहीं है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी वे कन्वेंशन्स पाले जाते जाते हैं। आपने देश के अन्दर प्रजातंत्र कायम किया तो हमें अपने देश के अन्दर भी इस प्रकार के कन्वेंशन्स कायम रखने होंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह कोई कानून नहीं है कि इस प्रकार का कन्वेंशन होना ही चाहिए। कन्वेंशन तो होते नहीं हैं, कन्वेंशन्स तो पाले जाते हैं और इस प्रकार के कन्वेंशन्स हमें अपने देश के अन्दर पालने हैं। देश के अन्दर जितने भी स्पीकर्स हैं वे निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। अभी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर जो स्पीकर निर्वाचित हुआ वह निर्विरोध हुआ है, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया क्योंकि स्पीकर जब चुना जाता है तो वह किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। इंग्लैंड का मैं आपको उद्धरण रखना चाहता हूँ, जहां पर सन् १८८५ से लेकर १९३५ तक एक ही स्पीकर रहे, चाहे कंज़र्वेटिव पार्टी की सरकार हो या लेबर पार्टी की; लेकिन स्पीकर एक ही रहे। उसी सम्बन्ध में मैं एक उद्धरण माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ :

"The Speaker of the House of Commons is the representative of the House in its powers, proceedings and dignity. His functions fall into two categories. On the one hand he is the mouth or representative of the House in its relations with the Crown, the House of Lords and other authorities and persons outside Parliament. On the other hand he presides over the debates of the House of Commons and enforces the observance of all rules for preserving order in its proceedings.

At a general election his seat is rarely contested and when he vacates his office he is usually created a peer and in any case always relinquishes his membership of the House."

सर थोमस एस्कीन, जो इंग्लैन्ड के प्रख्यात पार्लियामेन्टेरियन हैं, की दी हुई रूलिंग है। मैं यह मानता हूं कि श्री रामनिवास मिर्धा इस पद के लिये चुने जा सकते हैं क्योंकि बहुमत उनके साथ है, लेकिन जब हमें भारत में जनतन्त्रीय परम्परायें डालनी हैं तो उसमें हमें यह प्रवृत्ति नहीं रखनी होगी कि विरोधी जो कुछ भी बातें कहें उनको न सुनें। मैं सदन के नेता का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे अपने प्रान्त में इस प्रकार की परम्परायें डालने का श्रीगणेश करें जिसका अनुकरण अन्य प्रान्त वाले भी करें। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्री रामनिवास मिर्धा के लिए रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

**श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके बारे में मुझे भी दो शब्द कहने की आवश्यकता अनुभव हो गई। मेरे प्रस्ताव का विरोध करने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या मालूम कि हमने हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय को इस बारे में पूछा या नही, उनको क्या मालूम कि पुराने अध्यक्ष इस पद को स्वीकार करने के पक्ष में थे या नहीं? हमारी पार्टी में या तो दो नाम प्रोपोज़ हुए होते यह कतई नहीं हुआ या इस बारे में कोई वाद-विवाद हुआ होता तब तो हम आपका कहना ठीक समझते। मान लीजिये हमारे पुराने अध्यक्ष इस पद के लिये खड़े होना नहीं चाहते हों, ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी के लिये तो यह आवश्यक था कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनें जो असेम्बली के कार्य का अनुभव रखते हों और उसी के आधार पर हमने श्री रामनिवास मिर्धा का नाम प्रोपोज किया। यह नाम हमारी पार्टी के अन्दर सर्व सम्मति से तय हुआ है।

**श्री तनसिंह** : आप यह किस आधार पर कह सकते हैं कि पुराने अध्यक्ष इस पद पर आने के लिये तैयार नहीं थे।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : ये तो पार्टी की बातें हैं।

**राजाराव श्री सरदारसिंह** : How does he know that he was not ready for this office?

**श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा** (जारी) : अगर वे तैयार होते तो अपनी स्वीकृति देते। जहां तक मुझे मालूम है वे इस पद पर आना नहीं चाहते थे, वे अब रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं।

**श्री तनसिंह** : कोई हराये जाने के लिये तैयार नहीं होता।

**श्री माधोसिंह** : उन्होंने आना पसन्द नहीं किया होगा। ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां कैसी परम्परा होनी चाहिये कि जो भी नाम प्रस्तावित किया गया है वह सर्व सम्मति से स्वीकृत हो।

मैं इस बात को भी मानता हूं कि उपाध्यक्ष का पद विरोधी दल को मिले और पहले मिला भी था, लेकिन वे परिस्थितियां और थीं उस समय विरोधी दल एक संगठित दल था, विरोधी दल से इस संबन्ध में बात करने के लिये हम तैयार थे किन्तु आज तक यह भी पता नहीं कि विरोधी दल के नेता हैं कौन और यह भी पता नहीं कि किस पार्टी के पास बहुमत है। जब तक यह तय नहीं हो जाता कोई निर्णय नहीं हो सकता.............

**श्री तनसिंह** : On a point of Order Sir, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनको यह कहने का अधिकार नहीं, उनको पहले जान लेना चाहिये था कि किस पार्टी को विरोधी दल माना जाय। उनका इस प्रकार किसी पार्टी विशेष पर रिफ्लेक्शन करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं। मैं समझता हूं जिन बातों का माननीय सदस्य को पता ही नहीं उनको अनावश्यक रूप से सदन में लाना उचित प्रतीत नहीं होता।

**श्री माधोसिंह** : हमारी पार्टी को इस बारे में इतला नहीं है, शायद डेलीबरेटली ऐसा किया गया हो। मैं अब इस विषय में ज्यादा न कहता हुआ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात की हमदर्दी है कि उपाध्यक्ष विरोधी दल का नहीं लिया गया। अगर विरोधी दल संगठित होता और हमें भी यह मालूम पड़ता कि यह विरोधी दल की पार्टी है तो शायद ऐसा भी हो सकता। मुझे समझ में नहीं आता, जब विरोधी दल कोई सगठित

# Page No.36



( श्री माधोसिंह )

दल है नहीं तो यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम मैंने रखा है वे सब तरह से योग्य हैं। इसके साथ साथ मैं विरोधी दल मे यह प्रार्थना करूंगा कि वे स्वस्थ परम्परा डालना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति का नाम मैंने स्पीकर के पद के लिये प्रोपोज़ किया है उसका समर्थन करें और आगे के लिये दोस्ती का हाथ बढ़ायें ताकि हम स्वस्थ परम्परा मिल-जुल कर कायम कर सकें।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या माननीय सदस्य का दोस्ती का हाथ मिलाने से यह मतलब है कि विरोधी दल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाये और उनसे दोस्ती कर ली जाय। यानि उनकी पार्टी में शामिल हो जावें ?

**श्री मदनसिंह** : ( दांता रामगढ़ ) अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय ने अभी अभी यह फरमाया कि भूतपूर्व अध्यक्ष अगर इस पद के लिये खड़े होना चाहते तो अपना नाम दे सकते थे। प्रस्तावक महोदय से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या जिन महानुभाव को स्पीकर के पद के लिये उन्होंने प्रोपोज़ किया है क्या वे वापिस लेने के लिये तैयार हैं ? वे पहले उनका नाम वापिस लें और एक दिन और नोमीनेशन के लिये दें तो हो सकता है कि हम मिल-जुल कर हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष को इस बात के लिये राज़ी कर लें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष महोदय अभी अभी बहस के दौरान में यह कहा गया कि विरोधी दल के नेता की सूचना नहीं। जब तय हो चुका इस सम्बन्ध में तो मेरा यह कहना है कि विरोधी दल के नेता के बैठने का जो स्थान है उस पर उनको बैठना चाहिये था। आज हम देखते हैं कि उस स्थान पर और ही कोई सज्जन बैठे हुए हैं।

दूसरी बात जैसी कि अभी अभी मालूम हुई, घंटे डेढ़ घंटे पहले हमें सूचना मिली है कि रामराज्य की ओर से श्री नरेन्द्रसिंहजी नेता निर्वाचित हुए हैं। कल मेरे पास, एक प्रतिनिधि मंडल कहूँ या क्या आया था, उसमें कुछ सदस्य मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि एक स्वतंत्र पार्टी संगठित हो रही है, जिसके सदस्यों की तादाद बीस से ऊपर है। अभी जो पत्र मेरे पास आया रामराज्य परिषद् की ओर से उसमें कहा गया कि उनके दल को विधान सभा में विरोधी दल स्वीकार किया जाय। यह तो ट्रान्जीशनल फेज़ है कि कौन कौन सी पार्टीज़ रिकगनाइज़ होती हैं और कौन विरोधी दल के नेता हों; इस सम्बन्ध में निश्चय होना बाकी है, फिर भी दूदू-फागी को तरफ से आये हुए माननीय सदस्य, जिनको विरोधी दल का नेता कहा जाता है और वे ही अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। एक विरोधी दल का नेता होकर स्पीकर के पद के लिए चुनाव लड़ें, ऐसी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी। यह यहां पहली ही बात मैं देख रहा हूँ............

**श्री तनसिंह** : He is officiating for the leader (of opposition).

**श्री सुखाड़िया** ( जारी रखते हुए ) : मैं फेक्ट्स अर्ज कर रहा हूँ। इससे एक प्रकार का कन्फ्युजन हो जाता है। एक ही व्यक्ति, जो विरोधी दल का नेता हो और उन्हीं का नाम स्पीकरशिप के लिए प्रस्तावित किया जाय, ये परस्पर विरोधी बातें हैं। ऐसी परिस्थिति में जिन माननीय सदस्य ने उनका नाम प्रस्तावित किया है वे वापिस

# Page No.37



(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लें। मैंने दूदू से आने वाले माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में बातचीत भी की, वे अपना नाम वापिस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी उनको लेने देना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वे अपना नाम वापिस लें ताकि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध हो सके। जो परिस्थिति विरोधी दल की इस समय है उसको देखते हुए जितनी भी इस संबंध में बातचीत संभव थी हमने की। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध करें। मैं समझता हूँ कि वाद-विवाद काफी हो चुका है और सदन के सामने रामनिवासजी का नाम प्रस्तावित किया गया है इस पक्ष की तरफ से; वे हर दृष्टि से योग्य हैं और हम आशा करके चल सकते हैं कि वे पूरी तौर से इस सदन के, निष्पक्षता के साथ अधिकारों को और माननीय सदस्यों के अधिकारों को संरक्षण देंगे। और अन्त में अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें एक राय से निर्वाचित करें, यही उचित होगा।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा सदन के नेता से कि उनका आशय क्या यह है कि विरोधी पक्ष संगठित नहीं है इसलिए उससे वार्ता नहीं की जा सकी? तो क्या वे इस बात के लिए तैयार हैं कि इधर जितने भी सदस्य बैठे हैं वे सब मिलकर एक का नाम डिप्टी स्पीकर के पद के लिए प्रस्तावित करें; तो वे उनकी ओर से स्वीकार कर लेंगे? अगर ऐसा स्पष्टीकरण कर दें तो किसी रूप में हम आज के समय में जो कन्टेस्ट है उसके बारे में सोच सकते हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है।

**श्री तनसिंह** : माननीय अध्यक्ष, movers' right of reply, I have a right to reply.

मेरा खयाल है कि मुझे बहस के जवाब में कुछ कहने का राइट है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मूवर ने बहस के जवाब में कुछ नहीं कहा है। अभी तो उनका अधिकार यों का यों ही है।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मूवर को रिप्लाई का राइट तो है, पर आपकी कही बातों के खिलाफ कोई बात कही गई हो तो उसका जवाब दे सकते हैं।

**श्री मोतीलाल** (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें कह दी गई हैं। प्रस्ताव क्या है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और हमारे प्रस्ताव के बारे में उन्होंने खुद ने मान लिया है कि वे व्यक्ति योग्य हैं। उन्होंने उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करके पार्टी के बारे में चर्चा की। जो साथी मोशन रक्खें उनको यह परम्परा निभानी चाहिये कि वे सबसे पहले दूसरों की पार्टी की चर्चा न करते हुये अपने पक्ष के बारे में कहें। समर्थक और प्रस्तावक के भाषण से साफ प्रकट है कि वे इस तरह से हाउस का समय खराब करना चाहते हैं, यही उनका उद्देश्य है न कि उनके प्रस्तावित सदस्य को इलेक्ट किया जावे। इलेक्ट हों, यह उनका मकसद नहीं है।

जब खिलाफ पार्टी का भी विरोध करते समय एक पत्र का उल्लेख किया गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह पत्र उनके पास आया कैसे?

**श्री भैरोंसिंह** : वह हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड में छपा है, यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता देता हूँ।

**श्री मोतीलाल** : परम्परा पर चर्चा करते हुये मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी के अन्दर परम्परा निभाने के लिये ही जिस साथी का नाम प्रस्तावित किया है वह हमारी पार्टी द्वारा निर्विरोध स्वीकृत है और इसके बारे में हमारी पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई और जिसके बारे में यहाँ आज चर्चा करते हैं वह भी हमारी पार्टी का ही एक सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में उनका भला हम ज्यादा समझ सकते हैं। ओपोज़िट पार्टी द्वारा परम्परा की दुहाई देना तब अच्छा लगता अगर वह आम चुनाव के समय श्री नरोत्तमलाल जोशी का विरोध नहीं करके, परम्परा निभाने के लिये निर्विरोध विजयी होने देते, परन्तु उस समय घोर विरोध करके आज यहाँ सिर्फ परम्परा की चर्चा करना ही अपना कार्य समझते हैं; तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि मेरे सभी मित्र आज मेरे प्रस्ताव, जो श्री रामनिवास मिर्धा के लिए हैं, इसे एक मत से स्वीकार करें।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : Now the discussion is over.

**श्री तनसिंह** : मुझे उत्तर देने का कुछ मौका दिया जावे, साहब। मेरा राइट आफ रिप्लाई तो है। यदि आप मेरे इस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं मुझे, तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : तो ठीक है। आप दो मिनट में अपनी बात फरमा दें।

**श्री तनसिंह** : मैं तो सिर्फ जो बातें कही गई हैं उनके बारे में ही दो बातें कहना चाहूंगा।

मेरे एक मित्र, पूर्ववक्ता, ने अपना राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज़ करते हुए कहा कि मैंने जो अपना प्रस्ताव पेश किया है वह उसे पास कराने के लिये नहीं पेश किया है बल्कि सदन का समय व्यर्थ बरबाद करने के लिये रक्खा है; क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि मेरा प्रस्ताव निभ नहीं सकता। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो एक सिद्धान्त को प्रतिपादन करने के हेतु अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, वैसे यह तो मैं ही क्या सभी जानते हैं कि बहुमत के जोर से कुछ भी करा सकने की क्षमता उधर के लोगों में ही है। बाकी रहा सवाल उनकी भाषा का, सो वह बात इतनी एतराज के काबिल मैं नहीं मानता कि जिसके लिये कोई आपत्ति उठाऊं। फिर भी मैं इसे उचित बात नहीं मानता। यह तो मैं भी उनके लिये भी कह सकता हूं कि उन्होंने हम से भी अधिक समय सदन का खराब करने के लिये यह प्रस्ताव रक्खा है।

( हंसी )

एक बात और मैं निवेदन कर दूं कि व्यक्तिगत दृष्टि से मैं किसी को बुरा नहीं मानता। व्यक्ति सब अच्छे हैं, पर सिद्धांत की दृष्टि से मैंने नाम प्रोपोज़ किया है। पिछली बार भी विरोधी पक्ष की ओर से उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था हालांकि बाद में वे उधर चले गये। तो व्यक्ति की दृष्टि से हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहने की न आवश्यकता पहले थी और न अब है और न होनी चाहिये क्योंकि जहां तक हम समझते हैं अध्यक्ष का उम्मीदवार व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी का विषय नहीं है।

दूसरी बात, जो सदन के नेता ने बतलाई वह यह थी कि उन्होंने इस विषय में विरोधी

# Page No.39



( श्री तनसिंह )

पक्ष से प्रस्ताव भी किया। हमें इस तरह की सूचना नहीं। मैं तो समझता हूं कि इस विषय में हमारी तरफ से इन्फोर्मेशन बहुत पहले दे दी गई थी कि हमारी तरफ से अभी रघुवीरसिंहजी चुन लिये गये हैं। पर दुबारा मालूम किया तो इस विषय में मालूम हुआ कि सेक्रेटेरियेट में इत्तला नहीं पहुँची। पर उन्होंने कहा कि आवश्यक कारणवश वे यहां आज उपस्थित नहीं हो सकते इसलिये हमने फिर दूसरों का चुनाव किया, इमर्जेन्सी मीट करने के लिये। अब उन्होंने बतलाया कि उनके सदन के नेता ने कन्सल्ट भी किया।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : समय का आप खयाल रक्खें। बहुत कम समय है, आप अपना वक्तव्य जल्दी समाप्त करें।

**श्री तनसिंह** ( जारी ) : मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का डिसीजन ऐसा है। मैं बताऊं कि सदन के नेता ने इसी प्रकार की बात पिछली बार भी रक्खी। उन्होंने बात करने के विचार की आवश्यकता तभी समझी जिस समय कि मोशन सदन में आ गया था। खैर, वे यह बहाना बना सकते हैं कि इस समय तो कि विरोधी दल को मान्यता प्रदान नहीं है। पिछली मीटिंग, जहां तक मुझे स्मरण है नवम्बर में हुई थी और उस समय उपाध्यक्ष के चुनाव का जब प्रश्न था, तो उस समय क्या संयुक्त दल को मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब भी बहस से केवल पन्द्रह-बीस मिनिट पहले जैसी कि मेरी इन्फोरमैशन है, वे कार्यकारी विरोधी पक्ष के नेता से मिले और फिर भी वह कहते हैं कि यह हमारे दल का निर्णय है, इसके बारे में आपका क्या उत्तर है? इसके लिये न पहली बार उत्तर था और न इस बार। मेरे कहने का आशय यह है कि इस तरह की बात करने से ऐसा लगता है कि ये करना नहीं चाहते बात पूरी तरह से हम लोगों से, केवल बहाना ढूंढना चाहते हैं। यह मिलने करने का और पांच दस मिनिट पहले मिलने का बहाना भी क्यों करें? कहने के लिये तो वे यह भी कह सकते हैं कि विरोधी पक्ष वाले दिखते हैं नहीं। अगर यही बहाना करते तो एक उपयुक्त बहाना होता। तो मेरा निवेदन है कि अगर सही नीयत से बात करना चाहते तो कुछ भी असम्भव नहीं था। जब कि अपनी तरफ बैठने वाले एक एक आदमी का उन्हें मालूम है और हमारी ओर बैठे हैं उनका कोई खयाल नहीं है, कोई जीता है............

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : आप काफी समय ले चुके हैं।

**श्री तनसिंह** : मुझे समय का ज्ञान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसका एक मत से पास करें।

**श्री नरेन्द्रसिंह** : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम डिस्कशन में आया है इसलिए मैं भी कुछ निवेदन कर दूं। उस पार्टी के नेता महोदय ने फरमाया है........

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जब रिप्लाई हो चुका है तो डिबेट खत्म हो जाती है इसलिये अनुचित होगा इस सम्बन्ध में कुछ कहना।

**श्री भैरोंसिंह** : On a point ....

**श्री तनसिंह** : On a point of personal explanation, Sir.

**श्री नरेन्द्रसिंह** : पांच मिनिट पहले ही सवाल आया था। मैंने कहा था कि परम्परा चली आ रही है उसी माफिक रखें तो उन्होंने कहा था कि मैं तलाश करके बताऊंगा और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको पोस्टपोन कर दूंगा।

("हियर, हियर" की आवाज)

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष:**—पहला प्रस्ताव हरिश्चन्द्रजी का वोट के लिये प्रस्तुत है। प्रश्न यह कि श्री रामनिवास मिर्धा को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का जो प्रस्ताव श्री हरिश्चन्द्र ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

मेरे ख्याल से 'हां' पक्ष जीता।

**श्री भैरोंसिंह** : 'ना' पक्ष जीता।

**कई माननीय सदस्य** : Ayes have it, Sir.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** :—'हां' पक्ष जीता।

**श्री भैरोंसिंह** : 'Noes' have it. Sir.

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** :— तो अब डिवजन चाहते हैं आप ?

**श्री भैरोंसिंह** : हां साहब।

**श्री मोतीराम** : डिविजन करा लें साहब।

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : (श्री भैरोंसिंह से) डिवीजन क्लेम करते हैं, साहब ?

**श्री भैरोंसिंह** : We claim division, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : अब एक बार और इस प्रथम प्रस्ताव के पक्ष में हों वे 'हां' कहें, जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें (ना)

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता। अब डिविजन कोई क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है।

(करतल ध्वनि)

श्री रामनिवास मिर्धा अब स्पीकर पद के लिए इलेक्टेड डिक्लेयर्ड किये जाते हैं।

(करतल-ध्वनि)

**श्री भैरोंसिंह** : बाकी के दो प्रस्ताव जो हैं, उनका क्या हुआ बता दीजिये ?

**श्री कार्यकारी अध्यक्ष** : रूल्स के अनुसार पहले जब कोई तय हो जाता है तो बाकी के प्रस्ताव फॉल हो जाते हैं।

## श्री रामनिवास मिर्धा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर अभिनन्दन

(सदन के नेता और विरोध पक्ष के नेता, श्री नरेन्द्रसिंह, श्री मिर्धा को श्री कार्यकारी अध्यक्ष के समीप लाये, श्री नारायणसिंह ने श्री मिर्धा से हाथ मिला कर श्री मिर्धा को उन्होंने अध्यक्ष पद पर आसीन कराया)

(करतल-ध्वनि)

१०-५६-म० पू०

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से आपको इस अवसर पर बधाई अर्पित करना चाहता हूँ और जिस महत्व पूर्ण पद पर आप आसीन हैं और जो आशायें हम आपसे करते हैं उनको पूरा करने के अन्दर हम लोगों की तरफ से सदैव आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

रहेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपके हाथों में इस सदन के अधिकार, परम्परायें और स्वस्थ जनतंत्र का भावी विकास का सारा का सारा उत्तरदायित्व है और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान की यह धारा सभा राजस्थान में जनतन्त्रीय परम्पराओं को पनपाने में कामयाब होगी। इस अवसर पर इतना ही कह कर मैं फिर से आपके अन्दर अपना पूर्ण विश्वास और आपके आदेशों के पालन के लिए अपना पूर्ण विश्वास दोहराना चाहता हूं। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू—रामराज्य प०) : मैं विरोधी दल की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और हम लोग आपको बधाई देते हैं। जिस प्रकार आपके पहले महानुभाव ने काम किया था उसी प्रकार दोनों ओर की बातों को सुन कर और पूरी-तौर पर विचार कर जिन परम्पराओं को उन्होंने निभाया था उसी प्रकार निभाकर आप अच्छी तरह से कार्य—सम्पादन करेंगे, यह हमें पूर्णतः आशा है। यही हम लोगों की ओर से निवेदन करना है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर—जन संघ): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा में अपने दल की ओर से आपके इस निर्वाचन के लिए, अपनी ओर से, बधाई अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का पद आपको आज सुशोभित करने को मिला है वह बहुत ही उतरदायित्व पूर्ण पद है। इस पद में जहां तक बहुमत वाले दल या अल्पमत वाले दल का प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, अल्पमत का संरक्षण सारा का सारा आपके हाथ में है। प्रजातान्त्रिक पद्धति में भी यदि स्वस्थ विरोधी दल का निर्माण नहीं होता है तो वह भी एक प्रकार की त्रुटि है। उस त्रुटि के कारण सत्तारूढ़ दल प्रजातन्त्र की भावनाओं के विपरीत कार्य करने को तत्पर हो जाता है। उस प्रजातान्त्रिक पद्धति के आधार पर सत्तारूढ दल को निरंकुश नहीं बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि विरोधी दल को ठीक ढंग से पनपाया जाय; जो विरोधी दल के अधिकार हैं, जो विरोधी दल की मर्यादाएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाय। विरोधी दल को पनपाने के लिए सारी व्यवस्था जो है वह आपके हाथ में है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षीय—काल में जो विरोधी दल है, जो प्रजातन्त्र का आवश्यक अंग है, वह विरोधी दल इस प्रकार से पनपता रहेगा और हम यह उम्मीद करते हैं कि बहुमत के आधार पर हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों का संरक्षण आपके हाथ में है; उन अधिकारों पर भविष्य में कुठाराघात नहीं होगा।

एक बार में फिर आपके निर्वाचन के लिए अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से अभिवादन करता हूँ. अपनी बधाई अर्पित करता हूं।

**श्री लच्छूराम** ( साम्यवादी दल ) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं। आशा है, आप ठीक ढंग से परम्पराओं को ( अश्रव्य ) । जिस प्रकार का हमारा अल्पमत का विरोधी दल है उसको ध्यान में रखते हुए स्वस्थ, न्यायोचित ढंग से सदन पर काबू रखेंगे।

(श्री अध्यक्ष के बोलने के लिए खड़े होने पर करतल-ध्वनि )

**श्री अध्यक्ष** ( श्री रामनिवास मिर्धा ) :

# Page No.42



( श्री अध्यक्ष )

माननीय सदस्यों का मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और जिस पद के लिए उन्होंने मुझे चुना है उसके लिए मैं अपनी ओर से आभार प्रदर्शित करता हूँ। माननीय मुख्य मंत्रीजी और अन्य दलों के नेताओं ने जो बातें कहीं उनके लिए भी मैं उनका बड़ा आभारी हूं। जो यह भार और जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझ पर डाली है उसको निभाने में, मैं, आशा करता हूँ, सदन के सभी माननीय सदस्यों का, चाहे वे इस ओर बैठे हों या उस ओर, पूरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा। जहां तक मेरा प्रश्न है मैं अपना यह परम धर्म समझूंगा कि इस सदन के और इस सदन के हर सदस्य के जो अधिकार हैं, जो हित हैं, उनको मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रखूं, ( करतल-ध्वनि ) और इसके साथ साथ इस सदन की जो परम्पराएं हैं, जो सदन की प्रतिष्ठा है, उन्हें पूरी तरह से निभाने में सचेत रहूं। अध्यक्ष की प्रतिष्ठा ही आपकी प्रतिष्ठा है और आप सब की प्रतिष्ठा ही अध्यक्ष की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाने में मेरा सहयोग दें और मैं आशा करता हूं कि जो शब्द माननीय सदस्यों ने यहां कहे हैं उन पर पूरा उतरने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा।

इस अवसर पर इन चन्द शब्दों से ज्यादा कोई कहने का मौका नहीं है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आश्वासन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि जो कुछ भी मसले आयेंगे वगैर पार्टी के खयाल से, वगैर और किसी खयाल से तय किये जायेंगे ताकि हम सब की, सदन की और संविधान की प्रतिष्ठा बढ़े।

( करतल-ध्वनि )

अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, और शाम को ४॥ बजे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। सदस्यों से निवेदन है जैसा कि पूर्व सूचित किया गया है, कि ४ बजे सदन में आ जायं, ताकि जो व्यवस्था है वह पूरी तौर से निभ सके।

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही ११.५ बजे म० पू० बृहस्पतिवार दिनांक २५ अप्रैल, १९५७, के मध्यान्होत्तर ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई )

## संक्षिप्त विवरण

(बृहस्पतिवार, २५ अप्रैल, १९५७)

(प्रातः कालीन)

| | स्कम्भ |
|---|---|
| **शपथ अथवा प्रतिज्ञान :** | ३३ |
| श्री महेन्द्र सिंह (अजमेर पूर्व) ने आज शपथ ग्रहण की। | |
| **अध्यक्ष के निर्वाचन की सूचना सम्बन्धी औचित्य प्रश्न :** | ३३ |
| श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) के इस औचित्य प्रश्न पर कि उनको अध्यक्ष के निर्वाचन तारीख की सूचना समय पर नहीं मिली, श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सूचना उपरोक्त माननीय सदस्य को समय पर मिली। | |
| **शपथ न लिये हुये सदस्यों को शपथ दिलाने सम्बन्धी प्रश्न :** | ३३ |
| सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाने पर कि सदन में बैठे कुछ सदस्यों ने शपथ नहीं ली है तो इस पर अध्यक्षीय निर्णय यह था कि सदस्यों को समय पर सदन में उपस्थित हो जाना चाहिये था और अब सदन की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती। | |
| **अध्यक्ष पद पर निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव :** | ५५ |
| तीन सदस्यों ने श्री रामनिवास मिर्धा व एक सदस्य ने श्री नरेन्द्रसिंह के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये। श्री रामनिवास मिर्धा को निर्वाचित करने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ अतएव श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुये। | |
| **श्री रामनिवास मिर्धा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर अभिनन्दन** | ११२ |
| सर्व श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री), नरेन्द्रसिंह, भैरोंसिंह व लच्छूराम द्वारा अभिनन्दन एवं श्री अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद। | |

**२५ अप्रैल, १९५७ (सायंकालीन) बैठक की विषय-सूची**

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

———

## शुद्धि-पत्र

( वृहस्पतिवार दिनांक २५ अप्रेल, १६५७ )

( प्रातःकालीन )

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३३ | ८ | वधान सभा भवन, जयपुर | विधान सभा भवन, जयपुर |
| ३५ | ११ | was not Sentl | was not sent |
| ३८ | २ | your offices shows. | Your office shows |
| ३६ | ११ | हिन्दी नहीं जानना हो | हिन्दी नहीं जानते हों |
| ४७ | ६ | श्री पी० के चौधरी | श्री पी० के० चौधरी |
| ५१ | ३ | ऑफ मीटिंगज द्वारा | ऑफ मीटिंग्ज द्वारा |
| ५५-५६ | १ | २५ अप्रल, ५७ | २५ अप्रेल, ५७ |
| ५६ | १४ | श्री अध्यक्ष : २४। | श्री अध्यक्ष : २४. |
| ५६ | २ | (श्री भैरोंसिंह | ( श्री भैरोंसिंह ) |
| ६० | २६ | श्री कायकारी अध्यक्ष | श्री कार्यकारी अध्यक्ष |
| ६४ | २ | foundamental thing | Fundamental thing |
| ७३-७४ | २६ | २५ अप्रेल, ५८ | २५ अप्रेल, ५७ |
| ६६ | प्रथम पंक्ति के पश्चात् | | (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) |
| १०१ | २ | श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा ) | |
| १०१ | २ | श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा ) | श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा |
| १०१ | २७ | श्री कार्कारी अध्यक्ष | श्री कार्यकारी अध्यक्ष |
| १११ | २१ | 'Noes' have it. Sir | 'Noes' have it, Sir, |
| ११२ | १६ | विरोध पक्ष के नेता | विरोधी पक्ष के नेता |
| ११२ | २१ | समीपलाये, श्री नारायणसिंह | समीप लाये एवं श्री कार्यकारी अध्यक्ष |

# राजस्थान विधान-सभा का कार्य-विवरण

( सायंकालीन )

अंक १ ] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का द्वितीय दिवस [ संख्या ३



बृहस्पतिवार, २५ अप्रेल, १९५७

विधान सभा की बैठक सायं ४-३५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर मे, प्रारम्भ हुई । [ श्री रामनिवास, अध्यक्ष, पदासीन ]

## श्री गुरुमुख निहालसिंह, राज्यपाल राजस्थान का अभिभाषण

**राज्यपाल श्री गुरुमुख निहालसिंह :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गण, इस विधान-सभा के पहले अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है । आप में से बहुत से सज्जन ऐसे हैं जो संसदीय कार्यवाही में निपुण हैं और जिन्होंने राज्य में कानून बनाने और प्रशासन के इतिहास में पूरा योग दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वैधानिक क्षेत्र में नये सिरे से पदार्पण किया है । उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ और संसदीय कार्य में उनके सफल होने की कामना करता हूँ । आप इस क्षेत्र में चाहे अनुभवी हों या हाल ही में आये हों, मैं आशा करता हूँ कि आप निरन्तर स्मरण रखेंगे कि जनता ने आप पर भरोसा व विश्वास किया है और आप इस सम्मान के योग्य बनने के लिए निरन्तर परिश्रम करते रहेंगे । आपका प्रत्येक काम, चाहे वह इस सदन के भीतर किया जाय या बाहर, जनता की निगाह में रहेगा और उसकी जाँच लोक-सेवा के अति उच्च मापदंड से की जायेगी । आपका पद विशेष अधिकारों से उतना युक्त नहीं है जितना कि जनता की सेवा और जनता के प्रति उत्तरदायित्व से समन्वित है ।

२. आजाद होने के साथ साथ दस वर्ष पहले इस देश के लोगों को शीघ्रता से समूचे देश की आर्थिक प्रगति करने की तीव्र अभिलाषा हुई और उस अभिलाषा की पूर्ति के लिये उन्होंने एक अति उपयोगी कार्यप्रणाली, अर्थात् आयोजन का आविष्कार किया । आयोजित विकास से हम अपरिचित थे इसलिए हमने अपना परीक्षण आंतरिक उत्साह से आरंभ किया, किन्तु हमें जल्दी ही विश्वास हो गया कि हम सही रास्ते पर हैं और यदि हमने अपना उत्साह कायम रखा तो अवश्य ही लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे । पहली पंचवर्षीय योजना के परिणाम हमारे अनुमान से बढ़ कर हुए । राष्ट्र ने अन्न की कमी दूर करने में काफी सफलता प्राप्त की, बिजली और सिंचाई की कई बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा किया, बहुत सी ऐसी योजनाओं की नींव डाली, कई बुनियादी और भारी उद्योग जिनमें इस्पात के कारखाने शामिल हैं, आयोजित किये, घरेलू उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिया और इन सबसे ऊपर उन सामाजिक सेवाओं का वास्तविक प्रारंभ किया जो जनसाधारण के जीवन से घनिष्ट संबंध

# Page No.46



( श्री गुरुमुख निहालसिंह )

रखती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति व शिशु-कल्याण, गांवों का पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, श्रम-कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाहियों का एक नया महत्व हो गया और वे उस ग्रामवासी के जीवन का अभिन्न अंग बन ग जो उन्हें अब तक दूर से ही, यदि सन्देहपूर्वक नहीं तो लापरवाही से देखता था।

३. दुर्भाग्यवश हमें इस राज्य में कई खास समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण पहली योजना के प्रारंभिक वर्षों में योजना और विकास के प्रति हमारे प्रयत्नों में कमी रह गई। विभिन्न दर्जे के विकास, दृष्टि-कोण परम्पराओं और रीति-रिवाजों वाले २० से अधिक राज्यों को एकरूप आधुनिक राज्य में संयुक्त करने की समस्या का हमारा अनुभव देश में अन्य राज्यों के ऐसे अनुभव से बिलकुल भिन्न था। इसका परिणाम यह हुआ कि पहली योजना के पांच वर्षों में से करीब दो या तीन वर्ष के लिए हम प्रशासन के प्रश्नों को सुलझाने में लगे रहे। हमारी सफलता इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंकी जानी चाहिए; अन्य राज्यों के विषय में काम में लाये गये मापदंडों का राजस्थान के बारे में प्रयोग करना उचित नहीं होगा।

४. किसी राज्य के विकास के लिए पहली आवश्यकता, कानून और व्यवस्था बनाये रखने की है, और इसमें हमने अपूर्व सफलता प्राप्त की। राज्य के एकीकरण के समय, डाकुओं और उपद्रवी व्यक्तियों ने, जो जनता को निरन्तर लूट रहे थे और भयभीत कर रहे थे, विशाल क्षेत्रों को आक्रान्त कर रखा था। कई सुदूर क्षेत्रों में जान और माल को बहुत खतरा था और शांति व स्थिरता का पर्याप्त अभाव था। सरकार ने इस समस्या का दृढ़तापूर्वक सामना किया। इसके फलस्वरूप आज उन इने-गिने गिरोहों के अतिरिक्त जो कि भय व लूटमार के शर्मनाक नाटक में अपना आखिरी अभिनय कर रहे हैं, सब का सफाया हो चुका है।

५. विकास के क्षेत्र में हमने सामान्यतः पहली योजना में पर्याप्त प्रगति की है। ६०.४८ करोड़ रुपये की कुल नियत राशि में से करीब ८५ प्रतिशत खर्च किया गया। अनाज की पैदावार निस्संदेह बढ़ी है, फिर भी इस दिशा में हम सुरक्षित स्थिति पर पहुँचने से अभी दूर हैं। खेती होने योग्य कुल क्षेत्र के करीब १० प्रतिशत क्षेत्र में ही अभी तक सिंचाई की जा सकती है और चूंकि राज्य के अनेक भागों में वर्षा कम और अनिश्चित रूप से होती है अतः किसानों को बारम्बार अकाल का डर लगा ही रहता है। फिर भी प्रथम योजना में सिंचाई के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई। भाखरा बांध का पानी लाने के लिए राजस्थान में पहली योजना के अन्त तक नहरें करीब करीब तैयार होगई थीं और १९५५-५६ की खरीफ की फसल में करीब ४० हजार एकड़ जमीन में सामयिक सिंचाई होने लगी। प्रथम योजना की समाप्ति के समय चम्बल योजना की भी नहरों का काम पूरी रफ्तार पर था। प्रथम योजना की अवधि में अन्य परियोजनाओं द्वारा करीब ५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई। लेकिन बिजली शक्ति की योजनाओं की दिशा में हमारा काम कुछ अधिक संतोषजनक नहीं रहा। बहुमुखी योजनाओं में यद्यपि उचित प्रगति हुई लेकिन भाखरा की बिजली वितरित करने के लिए तार की लाइन डालने का काम पूरा नहीं किया जा सका। राज्य में थरमल सप्लाई ( बिजली ) की संरक्षा तथा

उसका विस्तार उतना नहीं हुआ जितनी की उम्मीद थी। लेकिन सड़कें बनाने के कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति हुई। करीब ५ करोड़ रुपये के खर्चे से लगभग ६७५ मील लम्बी पक्की सड़कें बनाई गई और एक हजार मील से अधिक लम्बी मौजूदा सड़कों को सुधारा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, आदि अन्य क्षेत्रों में भी उचित प्रगति हुई।

६. माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना में करीब १०५ करोड़ रुपये का कुल खर्चा करने का प्रावधान है। इसमें से ४५·४५ करोड़ रुपया सिंचाई और बिजली शक्ति के कार्यों पर खर्च किया जायेगा। हालांकि मुख्य बहुमुखी परि-योजनाओं (multi-purpose projects) के लिये २६ करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत पड़ेगी लेकिन हमने ११ करोड़ से अधिक रुपया दूसरी बड़ी और मध्यम सिंचाई परि-योजनाओं के लिये भी रखा है। साथ ही यह भी तय हो चुका है कि राजस्थान नहर परि-योजना का काम, जिस पर करीब ६६·४६ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और जिससे करीब ३४ लाख एकड़ रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, हाथ में लिया जायेगा और यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत जिन कामों के लिए रकमें नियत की गई हैं उनमें से ५·६४ करोड़ रुपये की रकम ग्राम तथा छोटे उद्योगों के लिए है। भेड़ तथा ऊन विकास सम्बन्धी और हाथ करघा उद्योग सम्बन्धी योजनाओं पर, जो कि राज्य के दो खास ग्राम उद्योग हैं, विशेष ध्यान दिया जायेगा। सड़कों के विस्तार और सुधार के लिए करीब ६ करोड़ रुपया रखा गया है। शिक्षा के मामले में यह राज्य कुछ पिछड़ा हुआ है अतः १०·५ करोड़ से अधिक रुपये इस क्षेत्र में खर्च किये जाने के लिये रखे गये हैं। साथ ही कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा वनों की उपेक्षा नहीं की गई है। इन योजनाओं के लिये कुल १२·५ करोड़ से अधिक रुपया नियत किया गया है। यदि यह सारा खर्चा उचित रूप से किया गया तो राज्य की अर्थ व्यवस्था अवश्य ही काफी सुधर जायेगी।

७. दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष १९५६–५७ में हमने विकास योजनाओं पर कुल खर्च के लिये १९.८३ करोड़ रुपया बजट में रखा था। पहले ९ महीनों में वास्त-विक रूप से ६.७ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और पिछले तीन महीनों में हुए खर्चे को मिलाकर कुल १३.९२ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार हम बजट में रखी गई रकम का करीब ७० प्रतिशत खर्च कर चुके होंगे। इससे ऐसा मालूम हो सकता है कि रुपया कुछ कम खर्च किया गया परन्तु नई योजना के पहले वर्ष में ऐसा होना अनिवार्य था क्योंकि सारी नई योजनाओं की सावधानी से जांच पड़ताल करनी थी अतः मंजूरी देने में समय लगा। तब भी हम कुछ और काम कर लेते यदि इसी वर्ष आम चुनाव न हुए होते, क्योंकि चुनावों के दौरान में करीब १ महीने तक बहुत से सरकारी अफसरों को चुनाव कार्य में लगे रहना पड़ा। पहले वर्ष की करीब करीब सारी योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है और उनका काम पूरी रफ्तार पर चल रहा है अतः दूसरे वर्ष में उचित प्रगति कर दिखाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

८. १९५७–५८ में २०.७४ करोड़ रुपया विकास योजनाओं में लगाने का प्रावधान किया गया है। इस रकम का ज्यादा हिस्सा उन योजनाओं को पूरा करने में खर्च किया जायेगा जो कि इस समय पहले से ही चल रही

हैं । इसलिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं कि वर्ष के आरम्भ से ही उचित प्रगति होती रहे । इसके लिये जो उपाय किये गए उनमें से एक यह था कि वित्त विभाग से यह कहा गया कि वह योजनाओं को बजट में शामिल करने के पहले उनकी जांच पड़ताल कर ले । योजनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी जिसमें वित्त विभाग, प्लानिंग विभाग और संबन्धित शासकीय विभाग के प्रतिनिधि थे । अब शासकीय विभागों को सिर्फ यह काम करना बाकी रह गया है कि वे विशेष कमेटी में स्वीकार किये गये आधार पर मंजूरियां दे दें ।

९. साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि जो काम सामने हैं उसके अनुरूप शासन को कार्यशील बनाया जाय । शासकीय जांच समिति अधिकार सौंपने (Delegation of powers) के काम को जल्दी ही पूरा कर देगी । भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने के बारे में भी कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है । यह स्पष्ट है कि जब तक भ्रष्टाचार का बीज ही नष्ट न कर दिया जाय, राज्य को, हर क्षेत्र में लगाई गई भारी रकम का पूरा लाभ प्राप्त न हो सकेगा । अभियोगों की पूरी जांच और अच्छी पैरवी का प्रबन्ध करना जरूरी है जो किया जावेगा । यह भी तजवीज है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चलाये गये विभागीय मामलों को निपटाने के लिए कोई उचित और प्रभावोत्पादक व्यवस्था कायम की जाय । भ्रष्टाचार और बेईमानी के दायरे को कम करने और खर्च की जाने वाली रकम का बेहतर लाभ उठाने के लिए सरकार बहुत जल्द एक केन्द्रीय स्टोर परचेज ओर्गेनाइजेशन स्थापित करने का विचार रखती है । समस्त शासकीय कार्य को शीघ्रतर निपटाने के लिये सरकार का उचित कदम उठाने का विचार है । जहां मौजूदा कार्यप्रणाली कष्टसाध्य अथवा अनावश्यक तौर पर लम्बी है वहां उसे उचित तरीके पर सरल बनाना होगा । सरकार की यह भी मन्शा है कि सब श्रेणियों के अधिकारियों को यथासंभव अधिक से अधिक सीमा तक अधिकार सौंप दिये जायं और काम के निपटाने में उन्हें अपनी जिम्मेदारी अनुभव करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय । आशा है कि इन तरीकों से तथा शासन की मशीनरी को कड़ा करने के अन्य तरीके अपना कर राज्य विकास कार्य के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम को विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने हाथ में ले सकने में समर्थ होगा ।

१०. जैसा सदन को मालूम है राज्य में जागीर-पुनर्ग्रहण का काम बिना किसी भारी कठिनाई के आगे बढ़ रहा है । भूमि के संबंध में हर प्रकार के मध्यवर्गों को मिटा देना सरकार का ध्येय है । इसमें केवल जागीरदारी प्रथा को पूरी तरह से मिटा देना ही नहीं बल्कि जमींदारी प्रथा का मिटाया जाना भी शामिल होगा । जमींदारी-प्रथा को मिटा देने के लिए जल्द ही कदम उठाये जायेंगे । सरकार इस बात के लिए भी उत्सुक है कि भूमि पर अधिकतम अधिकार व सुरक्षा वास्तव में खेती करने वाले के लिए सुनिश्चित की जाय । सरकार उस कमेटी की सिफारिशों पर जो कि भूमि-क्षेत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के वास्ते बनाई गई है, शीघ्र ही निर्णय करेगी । राज्य सरकार जागीरदारों को पुनः बसाने की आवश्यकता को अच्छी तरह महसूस करती है । आशा है, उनके सहयोग से यह मसला संतोषप्रद रीति से हल हो जावेगा ।

११. शिक्षा तथा चिकित्सा संबंधी योजनायें ही वे योजनाएं हैं जिनका कदाचित साधारण व्यक्ति पर अधिक से अधिक प्रभाव

पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यवाही जरूरी है! पिछले वर्ष में ९२५ प्राइमरी स्कूल, १०० मिडिल स्कूल तथा २६ हाई स्कूल या हायर सेकण्डरी स्कूल खोले गये जिनसे राज्य में स्कूलों की संख्या ८००० प्राइमरी, ९०० मिडिल और२५०हाई स्कूल या हायर सेकण्डरी स्कूलों से अधिक होगई है। महिलाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने को महारानी कॉलेज, जयपुर, में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासें और महारानी कालेज, बीकानेर, में डिग्री क्लासें खोल दी गई हैं, सेकण्डरी एज्यूकेशन के लिए एक अलग बोर्ड बनाये जाने का प्रस्ताव है। परीक्षाओं के मौजूदा तरीके में रद्दोबदल किये जाने का मसला भी सरकार के विचाराधीन है। छात्रों की पढ़ाई में तरक्की का ठीक अन्दाजा लगाने के लिए तिमाही इम्तहानों के स्थान पर, सालाना इम्तहान के अलावा हर विषय में लगातार पांच बार परीक्षण करने की तजवीज है। इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर, में माइनिंग इंजीनियरी कोर्स चालू किया जायगा। आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर, में आयुर्वेद की स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेज्युएट) क्लासें शुरू की गई हैं। चिकित्सा क्षेत्र में गांवों में चिकित्सा संबंधी सहायता दी जाने पर खास जोर दिया गया है। द्वितीय योजना में इस कार्य के लिए ९१ लाख से अधिक रुपये की योजना रखी गई है। सन् १९५७-५८ में इस कार्य में करीब २० लाख रुपये का खर्चा होगा। जयपुर के मेडिकल कालेज और अस्पताल के विकास की ओर भी दूसरे वर्ष में ध्यान दिया जावेगा।

१२. राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है परन्तु इस सम्बन्ध में वह सम्भावित क्षमता से सम्पन्न है। इसके अमूल्य खनिज पदार्थों का अभी तक केवल अपूर्ण रूप से सर्वेक्षण (सर्वे) हो सका है और वे बहुत ही अपर्याप्त रूप में काम में लाये गये हैं। यद्यपि राज्य में कोयले की खानें नहीं हैं परन्तु पलाना में भूरे कोयले के बड़े भण्डार मौजूद हैं, उनका जब समुचित विकास हो जायगा तो औद्योगीकरण में उनसे बड़ी सहायता मिलेगी। जाँच पड़ताल से मालूम हुआ है कि देश में सीसा, जस्ता तथा कच्ची चांदी के बड़े भण्डारों में से एक उदयपुर से दक्षिण-पश्चिम में २५ मील पर स्थित है। खेतड़ी के तांबे के भंडार और किन्हीं किन्हीं जिलों में अच्छे लोहे के भण्डार औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी होना चाहिये। राज्य की कीमती जिप्सम भण्डार का कुछ अंश, जो देश के दूरस्थ भागों में फर्टीलाइज़र प्लांट्स में काम आता है, राज्य में ही लाभप्रद रूप से काम में लाया जा सकता है। भवन निर्माण के पत्थरों का उद्योग पहिले से ही खूब विकसित रहा है। मकराने का संगमरमर तथा भरतपुर, कोटा व अन्य स्थानों का बलुआ-पत्थर (Sand stone) की मांग उत्तरी भारत के सब बाजारों में पहिले से ही है परन्तु आधुनिक तरीकों द्वारा इन उद्योगों को भी बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। उपलब्ध साधनों के अंतर्गत राज्य सरकार औद्योगीकरण के विकास के लिए अपनी भरपूर कोशिश करना चाहती है। भाखरा, चम्बल तथा अन्य परियोजनाओं से निकट भविष्य में प्राप्त होने वाली बिजली के कारण राज्य विशाल पैमाने पर औद्योगीकरण के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र तथा अवसर प्रदान करता है। छोटे बड़े नये उद्योगों को चालू करने में समस्त समुचित सुविधाएं तथा सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार को इच्छा रहेगी

१३. ऊंचे दर्जे की तथा अधिक मात्रा में खादी पैदा करने में राज्य विख्यात है। पिछले एक दो सालों में खादी का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ा है। हाथ-कर्घा उद्योग, जो कि राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ कुटीर उद्योग है, ७० हजार बुनकरों को रोजी देता है। भेड़ और ऊन उद्योग दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्योग है और राज्य में पैदा होने वाली ऊन की किस्म तथा तादाद को सुधारने के लिए विकास की कई योजनाएं ध्यान में हैं। अपनी दस्तकारी के लिए राजस्थान बहुत पहले से ही विख्यात रहा है। समुचित प्रगति को बनाये रखने के लिए जयपुर की महारानी की अध्यक्षता में दस्तकारी-बोर्ड की स्थापना की गई है। इन समस्त प्रवृत्तियों का उत्तर-दायित्व भारत सरकार द्वारा स्थापित अलग अलग बोर्डों पर होगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों की ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहती है ताकि केन्द्रीय बोर्डों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाने में वे समर्थ हो सकें।

१४. राज्य में बड़े पैमाने पर पचायतों की स्थापना से, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रवृत्तियों का काफी अंश में विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) हो सका है। सरकार इस बात के लिये इच्छुक है कि स्थानीय निकायों (Local bodies) को, विशेषरूप से पचायतों को, पर्याप्त अधिकार दे दिये जाएं और उन्हें काफी जिम्मेदारी सौंप दी जाय ताकि ग्रामीण व सामुदायिक विकास के क्षेत्र में वे एक जबर्दस्त ताकत बन सकें। सरकार की यह इच्छा है कि स्थानीय निकायों (Local bodies) तथा आम जनता का सहयोग विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में अभी की अपेक्षा और अधिक लिया जाय।

१५. मजदूर और मालिक के बीच संबंध संतोषजनक रहे हैं। कई केन्द्रों में सरकार ने एम्प्लोईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम चालू कर दी है। प्रथम योजना के काल में ११ श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये थे और कई अनेक खोलने का प्रावधान है ताकि राजस्थान में ५०० या अधिक मजदूरों वाले प्रत्येक औद्योगिक स्थान में केन्द्र हो सके। टैक्स-टाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, सरकार उसकी सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करेगी।

१६. पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए पहली योजना में १०३ लाख रु० खर्च किये गये। दूसरी योजना में इस कार्य के लिये २२८ लाख रु० की व्यवस्था की गई है। पहली योजना में परिगणित (Scheduled) क्षेत्रों तथा जातियों के कल्याण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया था जिसमें प्राथमिक पाठशालाओं, प्रौढ़ रात्रिकालीन शालाओं, छात्रावासों, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का खोलना, भूमिविहीन भील कुटुम्बों को फिर से बसाना, सिंचाई के कुओं तथा छोटे पैमाने पर सिंचाई के लिये तालाबों का निर्माण तथा अस्पताल खोलना भी शामिल हैं। दूसरी योजना में यह कार्यक्रम और भी अधिक प्रगतिशील कर दिया जायेगा। १५० भील कुटुम्बों को पुनः बसाने के लिये उदयपुर डिवीजन में पांच आदर्श गांव स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है। परिगणित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये भी विशेष योजनायें थीं जिन्हें जारी रखा जायेगा तथा पर्याप्त रूप से विस्तृत किया जायेगा।

१७. खाद्य स्थिति सरकार के लिये चिन्ता का कारण बनी हुई है। बेमौसम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल काफी मात्रा में खराब हुई। रबी की फसल को भी ओलों

के कारण और रोली लग जाने से पर्याप्त नुकसान पहुँचा है। राज्य सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उनमें सदैव पर्याप्त अनाज का स्टॉक रखने में सफल नहीं हो सकी है। राज्य के कुछ हिस्सों में अनाजों की कीमतें काफी ऊंची हैं। इस स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है।

१८. चूंकि यह विशेषकर बजट-सेशन है, अतः विधान-निर्मात्री कार्यक्रम ( Legislative programme ) अधिक नहीं रहेगा, फिर भी सरकार सदन के सामने, विधान-निर्माण के कई आवश्यक विधेयक जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ बिल, एग्रीकल्चरल डैटर्स रिलीफ बिल, मनी लैण्डर्स बिल तथा पुलिस बिल प्रस्तुत करने का विचार रखती है। इनमें से कुछ सदन द्वारा पारित हो गये थे लेकिन राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप व्यपगत ( lapsed ) हो गये।

१६. अब चूंकि चुनावों की धूमधाम समाप्त हो चुकी है, अतः इस सदन तथा सरकार का कर्तव्य है कि वे अपनी सारी शक्तियां राष्ट्रीय विकास के कार्य में लगायें; राष्ट्रीय योजना को स्वीकार करके, राज्य सरकारों ने अपने सामने कुछ स्पष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य रखे हैं। समाजवादी समाज व्यवस्था का विकास, जिसमें उत्पादन बहुत अधिक बढ़ेगा, बेरोजगारी काफी मात्रा में कम होगी, आर्थिक दृष्टि से अशक्त लोगों के लिये धीरे धीरे तरक्की करने के अवसर बढ़ेंगे तथा अमीर और गरीब के बीच की असमानता कम होगी, सभी सरकारों का घोषित उद्देश्य है। कल्याणकारी–राज्य का निर्माण इसी प्रकार हो सकेगा। इस उद्देश्य के लिये राष्ट्र को कठिन परिश्रम करना है तथा अपना सर्वोत्तम स्वेच्छा से निःसंकोच दे देना है। वर्तमान में कुछ बलिदान किये बिना भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। इस सम्पूर्ण कार्य का वर्तमान पीढ़ी पर अधिक भार है लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जिससे राष्ट्र आगे बढ़े हैं। राजस्थान का अतीत गौरवपूर्ण रहा है और इसका भविष्य निश्चित रूप से और भी अधिक गौरवमय हो। हममें से प्रत्येक का कर्तव्य है कि जो काम हमें सौंपा गया है उसे भली भांति पूरा करें।

सदन को अपने विचार विमर्शों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है।

जय हिन्द।

[ साय ५·१२ बजे दिनांक २६ अप्रैल १६५७ के ११ बजे म० पू० तक के लिये सदन की बैठक स्थगित हुई ]

## संक्षिप्त विवरण

(बृहस्पतिवार, २६ अप्रेल, १९५७)

(सायंकालीन)



**श्री गुरुमुख निहालसिंह, राज्यपाल राजस्थान, का अभिभाषण**

सायं, ४ बजकर ३७ मिनट पर श्रीमान् राज्यपाल ने सदन में अभिभाषण प्रारम्भ किया एवं ५ बजकर १२ मिनट पर अपना अभिभाषण समाप्त किया।

**२६ अप्रेल, १९५७ की कार्य-सूची**

श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद की प्रस्तुति एवं उस पर वाद-विवाद

## शुद्धि–पत्र

( बृहस्पतिवार दिनांक २५ अप्रेल, १९५७ )

( सायंकालीन )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| ११६ | ८ | जयपुर में, प्ररम्भ हुई | जयपुर, में प्रारम्भ हुई |
| १३३ | ७ | **राज्य पालराजस्थान** | **राज्य पाल, राजस्थान** |